

1 p u k d k v f / k d k j d s r g r f o " k ; 1 p h

f c l h q d e k d 1 & 1 x B u d h f o f " k " V ; l j p u k d r , o a d r A %

1-1 f t y k v k i f r Z f u ; a d d k l y ; x B u d s m n n a s ;

(अ) जिले में आवश्यक वस्तुएं साम्यपूर्ण रीति से उचित दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करना एवं इनकी उपलब्धता बनाये रखने के लिए विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन कराना।

(ब) अत्यावश्यक वस्तुओं एवं खाद्यान्नों का उपार्जन, संग्रहण एवं वितरण करने में संबंधित एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना।

1.2 f t y k v k i f r Z f u ; a d d k l y ; d k f e ' k u @ f o t u |

जिले के विन्हित उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत की शासन द्वारा नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं की सुलभता हेतु निर्धारित दर पर प्रदाय कर राहत प्रदान करने की कार्यवाही करना एवं सामान्य उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने की कार्यवाही करना।

1-3 f t y k v k i f r Z f u ; a d d k l y ; d k l k M r b f r g k l v l f b l d s x B u d k i d a

उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उचित दर पर उपलब्धता, समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी वस्तुओं का भण्डारण, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण हेतु इंदौर जिले में जिला खाद्य कार्यालय का गठन किया गया। वर्ष 1983 के पश्चात इंदौर संभागीय मुख्यालय होने के कारण जिले में खाद्य नियंत्रक का पद तथा बाद में पद नाम परिवर्तित होने पर वर्ष 2002 से जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय नामित हुआ। वस्तुतः यह जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय कलेक्टर कार्यालय की एक शाखा के रूप में कार्यरत है।

1-4 f t y k v k i f r Z f u ; a d d k l y ; d s d r A

f t y k v k i f r Z f u ; a d d k l y ; d s d k Z, o a n k ; R o %

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर वितरण हेतु उपलब्ध कराने की कार्यवाही करना।
2. शासन से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न आवंटनों का राशनकार्ड के मान से अनुभागवार विभाजन जारी करना एवं इंदौर शहर में प्रचलित उचित मूल्य दुकानों के लिये राशनकार्ड के मान से पुनरावंटन जारी करना।
3. समान खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को बीपीएल एवं अन्त्योदय उपभोक्ताओं के राशनकार्ड जारी कराना।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का परिपालन कराना।
5. भारत शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, तथा बाजरा एवं शासन द्वारा घोषित अन्य वस्तुओं के उपार्जन एवं कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु उपार्जन से जुड़ी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना।
6. विभाग द्वारा शासन के नियम अनुसार विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य।

nk; B

1. उचित मूल्य दुकानों से वितरण हेतु खाद्यान्न आवंटन की प्राप्ति एवं उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर वितरण कराना, जिसमें राशनिंग सम्मिलित है।
2. कलेक्टर द्वारा उचित मूल्य दुकान का निर्धारण करने के उपरांत उचित मूल्य दुकानों का आवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार करना।
3. पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एल.पी.जी., नाफ्था तथा सालवेन्ट की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना।
4. जिले के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत प्राप्त होने पर उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता की ओर से वाद दायर करना एवं उसका प्रचार-प्रसार कर उपभोक्ताओं को जागरूक करना।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबद्ध एजेंसियों, संस्थाओं, विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

1-5 ft yk vki frZfu; a-d dk lB; dseq; dR

जिला आपूर्ति नियंत्रक की मुख्य गतिविधियां (कृत्य) निम्नानुसार हैं :-

1. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का सुचारु संचालन।
2. संचालनालय से प्राप्त खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसीन का पुनरावंटन।
3. केरोसीन, डीजल पेट्रोल, नाफ्था, साल्वेंट, रेफिनेट, स्लाप एवं शक्कर के लायसेंस जारी करने तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करवाना तथा अनियमितताएं होने पर उन्हें दण्डित कराना।
4. उचित मूल्य दुकानों का आवंटन, जांच एवं अनियमितता होने पर दण्डित कराना।
5. हितग्राहियों को पात्रतानुसार राशनकार्डों का प्रदाय।
6. छात्रावासों, मदरसों एवं आश्रमों को राशन कार्ड जारी कराने एवं उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
7. पेट्रोलियम पदार्थों की वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
8. समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की उपार्जन व्यवस्था से संबद्ध एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं पेट्रोलियम पदार्थों की वितरण व्यवस्था से संबंधित एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
10. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 अ के अंतर्गत जप्त सामग्री का निराकरण कलेक्टर न्यायालय से कराना तथा न्यायालय द्वारा राजसात की गयी वस्तुओं को बाजार दर से विक्रय कराकर वसूली करना।
11. अन्य कृत्य जो समय-समय पर कलेक्टर/संचालनालय द्वारा सौंपे जाएं।

1-6 ft yk vki frZfu; a-d dk lB; ds nk; B; dh i frZds fy, vi ukBZt kus okyh l ok dk Lo: i A

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, संचालनालय से प्राप्त आवंटन के आधार पर खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल आदि को वितरण केन्द्रों तक पहुंचाकर, उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना।
2. भारतीय खाद्य निगम, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के डिपो से लीड संस्था के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों पर यथा प्राप्त गुणवत्ता का उचित मूल्य पर प्रदाय कराने का प्रयास।

3. "अन्नदूत" तथा "तेलदूत" योजनांतर्गत इंदौर जिले में उचित मूल्य दुकान एवं अन्य फुटकर विक्रेताओं को खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल का सीधा प्रदाय कराना।
4. शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर चलित वाहनों के माध्यम से, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य अंचलों एवं दुर्गम स्थानों में आयोजित होने वाले हाटबाजारों में आम नागरिकों को खाद्यान्न आदि आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने का प्रयास।
5. शासन द्वारा घोषित मूल्यों पर किसानों से सीधे समर्थन मूल्य पर गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की खरीदी तथा उन्हें तत्काल भुगतान की व्यवस्था की देख-रेख।
6. प्रचलित नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों एवं उत्पादकों पर नियंत्रण।
7. पेट्रोल/डीजल/मिट्टी तेल/रसोई गैस की गुणवत्ता एवं व्यापार पर नियंत्रण।
8. उपभोक्ता के हितों का संरक्षण।

1-7 ft yk vli frZ fu; a-d dk l; ; ds foHhlu Lrjka %kd u/ fun'shky; / {k-} ft yk/
Cykd vli %ij l aBukRed <lpk % glaykxngk%

जिला स्तर पर जिला आपूर्ति नियंत्रक

– अनुभाग स्तर पर सहायक आपूर्ति अधिकारी / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी

Lohdr in&

जिला आपूर्ति नियंत्रक, इंदौर के अंतर्गत वर्तमान में स्वीकृति पदों की स्थिति:—

1	जिला आपूर्ति नियंत्रक	
2	सहायक आपूर्ति अधिकारी	
3	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	
4	लेखापाल	
5	सहायक ग्रेड 2	
6	सहायक ग्रेड 3	
7	स्टेनोटाइपिस्ट	
8	वाहन चालक	
9	भृत्य	

1-8 ft yk vli frZ fu; a-d dk l; ; dh dk; Z {srk c < kusgrqt u l g; kx dh vi \$k; a

1. विपथन (Diversion) पर निगाह।
2. अपात्र व्यक्तियों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने से रोकने में सहयोग करना।
3. खाद्यान्न सुरक्षा, वितरण एवं गुणवत्ता के संबंध में जनजाग्रति लाना।
4. सुधारात्मक / सकारात्मक जन-सुझावों की अपेक्षा।
5. कर्तव्य एवं निर्देशों के पालन में जनसहयोग
6. दुर्गम एवं दूरस्थ इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने में मदद करना
7. गठित निगरानी समितियों को सक्रिय करना तथा समय-समय पर उनकी मीटिंग बुलाकर समस्याओं का निराकरण करना।

1-9 t u l g; kx l fu' pr djus ds fy, fol/k@Q oLEKA

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत निम्न स्तरों पर निगरानी समितियां गठित हैं जिनमें अशासकीय सदस्य व जनप्रतिनिधि भी सदस्य हैं—

1. जिला स्तरीय निगरानी समिति।
2. विकासखंड स्तरीय निगरानी समिति।
3. शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति।

1-10 tu lskv/ds vuqfo. k, oaf' kdk; r/dsfujkdj. k dh Q oLFK

प्रचलित निर्देशों/नियंत्रण आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारियों द्वारा जनसमस्याओं के निरीक्षण करने/करवाने एवं अनुश्रवण की व्यवस्था निर्धारित हैं। शासन द्वारा विकासखण्ड स्तरीय एवं ग्रामीण स्तरीय जनसमस्या के निवारण शिविर के आयोजन की व्यवस्था की गई है जिसमें विभागीय अधिकारी इस जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु उपस्थित रहते हैं।

जिला स्तर पर,, विकासखण्ड स्तर पर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण निगरानी समितियां भी गठित हैं।

1-11 eq; dk; l; rFk fofHh Lrj; dk; l; ds in

eq; dk; l; & कार्यालय कलेक्टर,, (खाद्य शाखा), जिला- इंदौर
rgl hy Lrj & अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील इंदौर, इंदौर A
rgl hy Lrj & अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील सोंवेर, जिला- इंदौर
rgl hy Lrj & अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील देपालपुर , इंदौर A
rgl hy Lrj & अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील महू , इंदौर A

1.12 *dk; l; ds /hyus dk l e;:-* प्रातः 10.30 बजे
dk; l; ds cth ghus dk l e; % सायं 5.30 बजे

fcUhgdekd 2 & vf/kdkj; kvk; de;dkj; kd dh 'kDr; ka, oa dRr

2.1 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण –
 जिला आपूर्ति नियंत्रक, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य आयुक्त सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय की वेबसाईट **www. dirfood@mpnic.in** पर उपलब्ध है।

पद का नाम	लेखापाल, जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, इंदौर	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक

कर्त्तव्य	<p>प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से स्थापना में वित्त शाखा संबंधी कार्य एक ही शाखा में समाविष्ट करते हुए स्थापना अथवा वित्त शाखा के रूप में दर्शाया जाता है । मूल रूप से स्थापना से संबंधित कार्य भी वित्त कार्य में सम्मिलित है । ये दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं । कार्यालय के समस्त वित्त कार्य लेखापाल द्वारा किये जाते हैं जिसके अनुसार कर्मचारी का वेतन, यात्रा भत्ते आदि संबंधी बिलों को तैयार करना, प्रस्तुत बिलों की जांच करना, पेंशन उपादान संबंधी मामले एवं व्यय के वार्षिक बजट तैयार करना, आकस्मिक व्यय के लेखे रखे जाना, शाखा में प्राप्त तथा भुगतान की गयी सभी नगद राशियों की व्यवस्था करना, कौशबुक एवं चेक पंजी का संधारण, आदि कार्य किये जाते हैं ।</p>
-----------	--

fyfi d oxlz depljh 4 gk d xM 2& 3½ dsvrfjDr nk; Rb %

- (1) नस्ती तैयार करना तथा उसे प्रस्तुत करना ।
- (2) प्रकरणों की प्राथमिकता के अनुरूप शीघ्रताक्रम दर्शानेवाले पर्चियों/फलेग का उपयोग ।
- (3) विलम्ब पर रोक ।
- (4) प्रारूप तैयार करना ।
- (5) कार्यालय आदेश फाईल/स्थाई आदेश फाईल/विभागीय आदेश पुस्तिका तैयार करना ।
- (6) स्मरण पत्र प्रेषण ।
- (7) तार, वायरलेस, फैक्स, ई मेल ।
- (8) निपटाये गये प्रकरणों की सूची तैयार करना ।

ft yk vki frZfu; #d dk lz; balg esMcd iMr djusokysLVkQ ds drD o nk; Rb-

संबंधित कक्ष के आवक कर्मचारी डाक प्राप्त करना तथा आवक पंजी का संधारण करना। वे डाक बुक में छोटे से हस्ताक्षर (इनीसियल) नहीं करेंगे बल्कि डाक बुक पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे और यदि हस्ताक्षर अपठनीय हो तो अपना पूरा नाम भी डाक बुक में लिखेंगे। साथ ही कक्ष की मोहर हस्ताक्षर/नाम के नीचे लगाएंगे। इससे यह सुस्पष्ट ज्ञात हो सकेगा कि डाक अपने सही स्थान पर लगाई गई और डाक किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त की।

दिन भर की डाक को बंटवाकर ठीक तौर से कर दिये जाने पर हर दिन के डाक को संबंधित कक्ष पंजी में अंकित करते हुये शाखाओं (Branches) को उचित रूप से बांटना।

आने वाले लिफाफों को खोलने के बाद उनकी अंतर्वस्तु (Contents) का सत्यापन लिफाफे पर लिखे गये पत्र ज्ञान के निर्गम क्रमांक से किया जाना ।

डाक की जांच— यदि डाक के साथ संलग्न कागज हो तो इस बात की जांच की जानी चाहिये कि संलग्न कागज सही-सही प्राप्त हुये हैं या नहीं और यदि कोई कागज न पाया जाये तो उसके बारे में समुचित नोट डाक प्राप्त होते ही कर देना।

सह-पत्र (Enclosures) के रूप में प्राप्त होने वाले वजनी और महत्वपूर्ण कागज संबंधित को अलग से भेजे जाने चाहिये और उसकी रसीद पत्र ले ली जाना चाहिये।

रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त होने वाले पत्रों के लिफाफे हमेशा पत्रों के साथ पिन लगाकर संबंधित शाखा को भेजना। कार्यालय पर तामील की गई रजिस्टर्ड-नोटिसों के संबंध में खास तौर से इस बात को ध्यान में रखना। ऐसे सभी मामलों में प्राप्ति शाखा को चाहिये कि वह दिनांक की मोहर के नीचे "रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त लिफाफा शामिल है" भी लिख दें। किसी एक रजिस्ट्री लिफाफे में एक से अधिक पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक पत्र पर "रजिस्ट्री डाक द्वारा प्राप्त-क्रमांक" लिखा जायेगा और लिफाफा रख लिया जायेगा। गुमनाम, बेनाम पत्रों के मामलों में लिफाफों को पत्रों के साथ पिन लगाकर रखा जाना चाहिये और पत्रों पर इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिये कि लिफाफे को इस प्रकार पिन लगाकर रखा गया है।

मोहरबन्द लिफाफे या प्रत्यक्ष रूप से दोहरे लिफाफे में रखे गये पत्र प्राप्ति शाखा में नहीं खोले जाना बल्कि उसी रूप में संबंधित अधिकारियों को भेज दिये जाना चाहिये। यदि किसी लिफाफे को खोलने पर उसकी विषयवस्तु (Contents) "गोपनीय" या "गुप्त" की प्रतीत हो, तो प्राप्ति शाखा को उसे लिफाफे के साथ किसी मोहरबन्द या बंद लिफाफे में संबंधित अधिकारी को भेज देना चाहिये।

t lod fyfi d dsnk; B &

जावक लिपिक द्वारा निम्न पंजियों निर्धारित प्रारूप में संधारित की जाती हैं :-

1. जावक पंजी, 2. स्टाम्प पंजी, 3. तार पंजी, 4. डाकबुक, 5. कांटे-बांट भी रखे जाते हैं

fclhqdckd 3 & fu. kZ yus dh i fdz k

ft yk Lrj ij fu. kZ yus dh i fdz k dk foj. k&

- 3-1 *fdl h fo"k ij fu. kZ yus ds fy, ft yk vki frZ fu; a-d dk kZ; ea D; k i fdz k vi ulbZt krh gS*
शासन द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा अपने स्तर पर कार्यवाही की जाती है।
- 3-2 *fdl h fo'kk fo"k ij fu. kZ yus ds fy, fu/kkZr fu; e , oa i fdz k D; k gS vFlk fu. kZ yus ds fy, fdl fdl Lrj i j foplj fd; k t krk gS*
प्रक्रिया सार्वजनिक वितरण स्कीम, 1991 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत जांच अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर, समक्ष में सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में गुण दोष के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं तथा इसी प्रक्रिया तहत तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।
- 3-3 *fy; sx; sfu. kZ dks t urk dks igplus ds fy, i fdz k*
नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाता है तथा संबंधित व्यक्ति के चाहने पर भी उसे जानकारी तत्काल उपलब्ध करा दी जाती है। जनहित की जानकारी का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को दी जाती है।
- 3-4 *fofdu Lrj ij fdu vf/kdij; k dks l Lrj h fu. kZ yus ds fy, i fr dh t krh gS*
संस्तुति आवश्यक नहीं। निर्णय गुण दोषों के आधार पर किये जाते हैं।
- 3-5 *vfire fu. kZ yus ds fy, i fr/kdr vf/kdij h*
अंतिम निर्णय लेने के लिए कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात जिला आपूर्ति नियंत्रक तथा तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी प्राधिकृत हैं।
- 3-6 *ef; fo"k ft l ij ft yk vki frZ fu; a-d dk kZ; }ijk fu. kZ fy; k t krk gS ml dk foj. k&*

कं०सं० - 1	
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।	उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध अनियमितताओं के

	प्रकरण।
दिशा- निर्देश (यदि हो तो)	मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उभय पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	जिला आपूर्ति नियंत्रक / अनुविभागीय अधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	—”—
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	जिले के कलेक्टर को 30 दिवस में।

क्र०सं० - 2	
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।	जप्त सामग्रियों का निराकरण/अधिहरण करना।
दिशा- निर्देश (यदि हो तो)	अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6-अ
निर्णय लेने की प्रक्रिया	प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	कलेक्टर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	—”—
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा अनुज्ञप्ति संबंधी अपीलें संभागायुक्त को 30 दिवस में की जा सकती हैं

क्र०सं० - 3	
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।	डीजल, पेट्रोल, केरोसीन, नाप्था, सॉल्वेंट, रेफिनेट व स्लॉप के लायसेंसों का निलंबन/निरस्तीकरण।
दिशा- निर्देश (यदि हो तो)	संबंधित आवश्यक वस्तु का लायसेंसिंग आदेश
निर्णय लेने की प्रक्रिया	प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	कलेक्टर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	डीजल, पेट्रोल के काम लेने वाली कंपनी की राय
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	संभाग के आयुक्त को अनुज्ञप्तियां निलंबित/निरस्त करने पर तथा जप्त सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 अ के प्रावधानों के तहत राजसात करने पर जिला एवं सत्र न्यायालय को निर्धारित अवधि 30 दिवस में अपील की जा सकती है।

[fclhqdexal 4 & dr dsfuolgu dsfy, LEWfir ekud@fu; e](#)

[dr dsfuolgu grqLEWfir ekud](#)

[1/2 ft yk vki wrZfu; a-d dk lq; / bank](#)

1. जिले को प्राप्त आवंटन माह के प्रथम सप्ताह में पुनरावंटित कर प्रचलित निर्देशानुसार जारी करना एवं तत्समय निर्धारित मानकों/निर्देशों के अनुसार उठाव व वितरण कराना।
2. माह की 15 तारीख तक खाद्यान्न उठाव।

3. मिट्टी का तेल माह की 10 तारीख तक 60 प्रतिशत 17 तारीख तक 85 प्रतिशत एवं 25 तारीख तक 100 प्रतिशत उठाव कराया जाना।
4. निर्धारित अवधि में संचालनालय को जानकारी भेजना।
5. जिला निगरानी समिति, विकासखण्ड स्तरीय व उचित मूल्य स्तरीय बैठकें मासिक रूप से कराना।

1/2 वृत्त Lrj ग्र

1. प्रभार के अनुज्ञप्तिधारियों/शा.उ.मू.दू. का दो माह में एक बार निरीक्षण हो जावे, ऐसी व्यवस्था निर्धारित करना।
2. मासिक डायरी प्रतिमाह 7 तारीख तक पेश करना।

4-1 ft yk vli fr Z fu; a-d dk k; } jk vius foHku fdz kdyl k@dk; Zleka ds l á mu grqiz lx fd; st kusokys ekud@fu; eka dk dk; Zleolj foj. k mi yCk dj; a

2- ft yk vli fr Z fu; a-d dk k; / bank

1. जिले को प्राप्त आवंटन माह के प्रथम सप्ताह में पुनरावंटित कर प्रचलित निर्देशानुसार जारी करना एवं तत्समय निर्धारित मानकों/निर्देशों के अनुसार उठाव व वितरण कराना।
2. माह की 15 तारीख तक खाद्यान्न उठाव।
3. मिट्टी का तेल माह की 10 तारीख तक 50 प्रतिशत 17 तारीख तक 85 प्रतिशत एवं 25 तारीख तक 100 प्रतिशत उठाव कराया जाना।
4. निर्धारित अवधि में संचालनालय को जानकारी भेजना।
5. जिला निगरानी समिति, विकासखण्ड स्तरीय व उचित मूल्य स्तरीय बैठकें मासिक रूप से कराना।

2-I. l k@-iz dh mpr ev; nqkuk ds fy;

आवेदन के माह से 3 माह पूर्व तक की जानकारी हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन उपरान्त जानकारी की समय सीमा—(स्कंध पंजी, वितरण पंजी, यूनिट पंजी)।

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. सोसायटी स्तर से | 15 दिवस |
| 2. बैंक शाखा प्रबंधक | 30 दिवस |
| 3. सहकारी उपभोक्ता भण्डार | 07 कार्यकारी दिवस |

2-II - vuKlr Loklr gr

1. अनुज्ञापन प्राधिकारी/कलेक्टर को आवेदन उपरांत 30 दिनों में स्वीकृत।
2. यदि आवेदक अपात्र है तो 30 दिनों में सकारण आदेश पारित करेंगे एवं आवेदक को 40 दिनों में लिखित सूचित करेंगा।
3. 40 दिनों के भीतर आवेदक को लिखित में नामंजूर सूचना प्राप्त न होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी/कलेक्टर को पुनः स्मरण करावेगा एवं कलेक्टर को सूचना देकर अनुज्ञप्तिधारी की हैसियत से कारोबार कर सकेगा।

2-III - वुक्लिर् द्क उओहृदृ. क

1. आवेदन प्राप्त होते ही कलेक्टर द्वारा नवीनीकरण कर दी जावेगी।
2. आवेदन प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर नवीनीकरण न करने संबंधी लिखित में सकारण आदेश पारित करेगा।
3. आवेदन प्रस्तुति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी को नवीनीकरण न करने के संबंध में लिखित में संसूचित करेगा।
4. आवेदक के आवेदन पर उपर्युक्त कार्यवाही के अभाव में अनुज्ञप्ति स्वीकृत मानी जावेगी।

*ik lk *d* ¼/k M 5 ns/k ½
e/; ins'k ekWj fLifjV rFlk gkbZihM Mt y vk y ¼vuKkiu rFlk
fu; æ. k½vks'k 1980 ds v/ku
vuKflr dh elt jh @uohudj. k ds fy; s vksnu*

श्रीमान कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी,

1. जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसका नाम.....
2. आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में
3. पिता/पति का नाम
4. आवेदक के निवास स्थान का पूर्ण पता
5. क्या फर्म एक मात्र स्वत्वधारी संस्थान है या भागीदारी फर्म है या नियमित कम्पनी है ।
कृपया यह भी बताईये कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत नहीं है
6. स्वत्वाधारी का नाम तथा पता/भागीदारी के नाम तथा पते
7. उस स्थान या परिसर का पूरा पता जहां कारोबार सम्पादित किया जाना है
8. आयल के संग्रहण के स्थान का पूरा पता/स्थानों के पूरे पते
9. आयल का नाम जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है जैसे मोटर स्पिरिट या हाई स्पीड या हाई डीजल या दो
10. आवेदक कितने समय से आयल का व्यापार कर रहा है
11. आयल की मात्रा जिसका गत वर्ष के दौरान व्यापार किया गया
12. आयल का कारबार करने के लिये नगर पालिका का अनुज्ञप्ति का क्रमांक यदि कोई हो

13. आवेदन करने की तारीख को आवेदक के कब्जे में आयल की मात्रा
14. मद 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति को छोड़कर फर्म द्वारा पेट्रोलियम नियमों के अधीन धारित अनुज्ञप्ति की, यदि कोई हो विशिष्टियां ।
15. फुटकर निकासी के मामले में कृपया उस आयल कम्पनी का नाम बताइये जिसका कि फर्म -1 अनुमोदित व्यापारी है और नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न कीजिये।
16. क्या आवेदक का फर्म का कोई भागीदार या निदेशक या पदाधिकारी या फर्म आवश्यक वस्तु अधिनियम या 1955 या पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिये पूर्व में सिद्ध दोष ठहराया गया है। यदि हां तो कृपया संक्षेप में उसकी विशिष्टियों तथा उसको अधिनिर्मित किये गये दण्डादेश का वर्णन किजिये।
17. क्या फर्म के विरुद्ध पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित किसी अपराध के लिये कोई मामला लंबित है तो संक्षेप में उसकी विशिष्टियां तथा वर्तमान स्थिति बताइये।
18. क्या आवेदक या फर्म का अन्य कोई भागीदार/पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर पेट्रोलियम/पेट्रोल डीजल पम्प का कारोबार चला रहा है या क्या वह ऐसी किसी फर्म का स्वत्वधारी भागीदारी पदाधिकारी है । यदि हां , तो कृपया विवरण दिजिये ।
19. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण
- केन्द्रीय विक्रय कर
- स्थानीय विक्रय कर
- मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर विनिर्दिष्ट की गई आयल की मात्रा आज मेरे कब्जे में है और उपर अंकित स्थानों पर रखी है ।

मैं/हमने मध्यप्रदेश मोटर स्पीरिट तथा हाई स्पीड डीजल आइल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 से संलग्न प्रारूप -ख में अनुज्ञप्ति की शर्तों का सावधानी पूर्वक पडा है और मैं/हम उनका पालन करने के लिये सहमत हूं/हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम अनुज्ञप्ति क्रमांक..... तारीख.....के जो कि मुझे/हमें तारीख
.....को जारी की गई नवीनीकरण के लिये, एतद् द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं।
चालान क्रमांक दिनांकरूपये बैंक का नाम

जमा प्रतिभूति/अमानत राशिरसीद नम्बरदिनांक.....
स्थान.....
तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

*e/; i n s k e W j f l i f j V r F l k g l b Z i h M M i t y v k y 1/2 v u q k l i u r F l k f u ; a . 1/2 v k n s k
1980 d s v / h u v k y d s d z j f o d z r F l k f o d z d s f y ; s l a g . k g s q v u q k l r t l j h
d j u s c l e r v l o ' ; d n l r l o t @ ' h y d l a a l h t k u d l j h %*

- 1- निर्धारित प्रारूप "क" पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस रु. 5/- के साथ
2. कम्पनी से अनुबंध की प्रति - नियुक्ति पत्र की प्रति जो कलेक्टर को संबोधित हो एवं अनुमति दिये जाने की अनुशंसा हो ।
3. विस्फोटक नियंत्रक की भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
4. भूमि के मालिकाना स्वरूप एवं डायवर्सन संबंधी दस्तावेज
5. जिला दण्डाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं एनओसी में दी गयी शर्तों का पालन ।

6. नक्शा- दो प्रति में ।
7. निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का चालान ।
8. निर्धारित प्रतिभूति राशि "राष्ट्रीय बचत पत्र" द्वारा ।

ik i&/k**
¼/k M&6 ns/k ½

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के अधीन आयल के क्रय, विक्रय तथा विक्रय के लिये संग्रहण हेतु अनुज्ञप्ति-----

अनुज्ञप्ति क्रमांक

जारी करने की तारीख.....

अनुज्ञप्ति फीसरुपये चुकाई गई ।

1. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञप्ति के निर्बंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये श्री (अनुज्ञप्तिधारी का नाम) व्यापारी के रूप में आयल का क्रय करने, विक्रय करने या विक्रय के लिये संग्रहण करने हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है / किये जाते हैं ।

2. (क) अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त कारबार निम्नलिखित स्थान/स्थानों पर करेगा,

(ख) अनुज्ञप्तिधारी विक्रय के लिये आयल का संग्रह निम्नलिखित स्थानों पर करेगा,.....

टिप्पणी- यदि अनुज्ञप्तिधारी उपर ,विनिर्दिष्ट किये गये स्थानों को छोडकर अन्य स्थान में आयल का संग्रह करता है तो वह ऐसे संग्रहण के 48 घंटे के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसकी जानकारी देगा और ऐसी जानकारी के साथ अनुज्ञापित को भी उसने आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिये पेश करेगा ।

3 (एक) अनुज्ञप्तिधारी , उस दशा में सिवाय जब कि राज्य सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट: छूट दे दी गई हो , निम्नलिखित प्रारूप में स्टाक तथा विक्रय रजिस्टर रखेगा ...

स्टाक तथा विक्रय रजिस्टर

तारीख	आरम्भिक स्टाक	प्राप्ति	योग	विक्रय	अतिशेष स्टाक	अंतिम वाचन	अंतिम तल (डीपरीडिंग) (सेन्टीमीटर/लीटर)	कालम (7) तथा के बीच का अन्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(दो) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन के लिये अपने लेखे संव्यवहार की तारीख से दो दिन (अवकाश दिन छोडकर) के भीतर पूर्ण करेगा जब तक कि वह युक्तियुक्त कारण से निर्धारित न किया गया हो, जिसे साबित करने भार उस पर होगा ।

4. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश, 1980 के उपलब्धों का उल्लघन नही करेगा ।
5. अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपलब्धों में से किसी भी उपबंध नही करेगा ।
6. अनुज्ञप्तिधारी- (एक) आयल के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिये संग्रहण को अंतर्वर्तित करने वाले किसी भी संव्यवहार में परिकल्पित रीति में शामिल नही होगा जिसमें कि बाजार में आयल के प्रदाय की सहज उपलब्धता को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(दो) विक्रय के लिये साधारणतः रखे गये आयल को बेचने से रोक नही रखेगा ।

(तीन) किसी भी प्रकार का आयल किसी भी स्थान में उस कीमत से जो कि ऐसे स्थान में आयल के विक्रय के लिये विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसके उत्पादक द्वारा किसी बस्ती में आयल के विक्रय के लिये नियत की गई कीमत से उच्चतर कीमत पर ऐसी बस्ती में आयल नहीं बेचा या बेचने के लिये प्रस्ताव नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के परिसरों के किसी प्रमुख स्थान पर अपने काम के घंटे तथा साथ ही दैनिक प्रारम्भिक स्टाक और वह कीमत जिसमें आचल बेचा जायेगा सुस्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में प्रदर्शित करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी, उस दशा में के सिवाय जबकि उस राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशिष्ट: छूट दे दी गई हो, प्रत्येक ग्राहक को यथास्थिति में एक सही रसीद या बीजक (इनव्हायस) यदि उसके द्वारा ऐसी मांग की जाये जारी करेगा। जिसमें अपने स्वयं का नाम और पता तथा ग्राहक का नाम और पता, संव्यवहार की तारीख, बेचे गसे तेज की मात्रा तथा दर और प्रसारित की गई पूरी कीमत दर्शायी जाएगी और वह प्रतिपण या उसकी दूसरी प्रति को पुस्तक के रूप में रख लेगा जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिये सुगमता से उपलब्ध रहेगा।

VII. H

शर्त 8 (1) (11) – पेट्रोल को लागू नहीं – अधिसूचना क्रमांक 4602–2669–29–2–83 दिनांक 30.7.87 द्वारा संशोधित किया गया है। खरीददार को रसीद देने की शर्त केबल हाई स्पीड डीजल आयल को ही लागू होती है पेट्रोल का लागू नहीं होता। इसलिये पेट्रोल पम्प का अनुज्ञप्तिधारी मोटर स्पीरिट की प्रत्येक बिक्री के लिये रसीद नहीं देता तो इस कारण उसकी अनुज्ञप्ति का निलंबित करना अवैधानिक है। वीरेन्द्र सिंह एवं अन्य वि. कलेक्टर जिला मंदसौर एवं अन्य ए.आई.आर. 1986 मध्यप्रदेश 1591।

9. अनुज्ञप्तिधारी, निम्नलिखित प्रारूप में सही मासिक विवरणी एवं उसके व्यापार के संबंध में ऐसी जानकारियां जैसे कि उससे मांगी जाये, अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस प्रकार भेजेगा जिससे कि आगामी माह की सातवीं तारीख को उसे प्राप्त हो जावे और तेल की खरीदी, बिक्री, भण्डारण, बिक्री के लिये और तेल के व्यय के संबंध में संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मध्यप्रदेश के प्राधिकृत पदाधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अनुदेशों का पालन करेगा/यथा
- (क) माह के प्रथम दिन तेल का प्रारम्भिक अतिशेष।
 (ख) माह के दौरान तेल की प्राप्ति।
 (ग) प्राप्ति का स्थान एवं स्रोत।
 (घ) स्तम्भ (क) एवं (ख) का योग।
 (ङ) माह के दौरान तेल की कुल बिक्री/प्रदाय।
 (च) माह के प्रथम दिन बंद अतिशेष।
 (छ) टिप्पणी यदि कोई हो (इस स्तम्भ में बिक्री हुई परंतु प्रदाय नहीं की गई किसी मात्रा का पूर्ण विवरण उसके कारणों सहित प्रदर्शित किया जा सकता है।
10. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मोटर आयल के विक्रय का प्रस्ताव या विक्रय का प्रयत्न नहीं करेगा जो विहित मानको के अनुरूप न हो या आयल के विक्रय के लिये त्रुटिपूर्ण मापों का पैमानों का उपयोग नहीं करेगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी, आयल के कय, विक्रय या संग्रहण के लिये उसके द्वारा उपयोग में लाए गए किसी दुकान, गोदामों या अन्य स्थान पर अपने स्टाकों तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिये तथा परीक्षण के लिये आयल के नमूने लेने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य

सरकार या प्राधिकृत अधिकारी या संचालक द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधायें देगा।

12 यह अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिये आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी।

13 यह अनुज्ञप्ति तारीखतक विधिमान्य रहेगा।

स्थान.....

तारीख.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

1. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया। अनुज्ञापन प्राधिकारी
2. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया। अनुज्ञापन प्राधिकारी
3. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया। अनुज्ञापन प्राधिकारी
4. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया। अनुज्ञापन प्राधिकारी
5. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया। अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्रारूप 'ख'

(खण्ड 5 देखिये)

मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के अधीन केरोसीन का कय-विकय के लिये संग्रहण के लिये अनुज्ञप्ति

:: (थोक/आंशिक) थोक/फुटकर कारोबार के लिये अनुज्ञप्ति ::

अनुज्ञप्ति क्रमांक.....

जारी करने की तारीख

अनुज्ञप्ति फीस

रूपये का भुगतान किया गया।

1. मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति के निर्बंधनों तथा शर्तों अधधीन रहते हुये को (थोक /आंशिक)

थोक/फुटकर विक्रेता के रूप में केरोसीन का कय-विकय या विकय के लिये संग्रहण करने के लिये (नाम)

को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

2. (ब) अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त कारबार निम्नलिखित स्थान/स्थानों पर करेगा

(भ) अनुज्ञप्तिधारी विकय के लिये केरोसीन का संग्रह निम्नलिखित स्थान/स्थानों पर करेगा

टिप्पणी

यदि अनुज्ञप्ति धारी, उपर विनिर्दिष्ट स्थानों से किसी भी स्थान पर केरोसीन का संग्रहण करे तो वह ऐसे संग्रहण की सूचना संग्रहण किये जाने से 48 घंटे के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा और अपने अनुज्ञप्ति में आवश्यक प्रविष्टियां कराने के लिये अपनी अनुज्ञप्ति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करेगा।

3. (एक) अनुज्ञप्तिधारी, उन स्थिती को छोडकर जबकि उसे इस संबां में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा:-

L/kd jft LVj

(अंक लीटरों में)

तारीख	प्रारम्भिक अतिशेष	(प्राप्ति का स्थान तथा स्ट्रोत्र दर्शाते हुए , तारीख को प्राप्त केरोसीन की मात्रा)	कालम 2 तथा 3 का योग	स्थानीय ऋण से विक्रय की गई मात्रा	गंतव्य स्थान दर्शाते हुये अन्य स्थानों को भेजी गई मात्रा	अंतिम अतिशेष	टिप्पणियां यदि कोई हो	व्यापारी / एजेन्ट के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. विक्रय रजिस्टर

तारीख	क्रमांक	क्रेता का नाम	विक्रय की मात्रा लीटरों	प्रभारित कीमत	क्रेता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

(दो) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन का अपना लेखा अन्ततोगत्वा अगले दिन संव्यवहार शुरू होने के पूर्व पूरा कर लेगा, जब तक कि ऐसा कर पाने से निवारित होने की कोई युक्तियुक्त कारण मौजूद न हो और ऐसा कोई कारण था, यह साबित करने का उत्तरदायित्व उस पर ही होगा ।

4. अनुज्ञप्तिधारी, मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा ।

5. अनुज्ञप्तिधारी, केरोसीन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा ।

6. अनुज्ञप्तिधारी— (एक) केरोसीन का क्रय, विक्रय या विक्रय के लिये संग्रहण संबंधी ऐसा कोई भी संव्यवहार सट्टेबाजी की रीति में नहीं करेगा जिससे बाजार में केरोसीन की सहज उपलब्धता तथा पूर्ति बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभार पड़े ।

(दो) सामान्यतः विक्रय के लिये रखे गये केरोसीन का विक्रय नहीं रोकेगा ।

(तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या इस संबंध में सशक्त किये गये किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी परिक्षेत्र में केरोसीन का विक्रय ऐसे परिक्षेत्र में बिक्री के लिये निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर केरोसीन का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिये पेश नहीं करेगा ।

7. अनुज्ञप्तिधारी केरोसीन के आरम्भिक स्टॉक तथा वह कीमत जिस पर केरोसीन का विक्रय किया जाना है, अपने कारबार के परिसर के किसी प्रमुख स्थान पर प्रतिदिन देवनागरी में प्रदर्शित करेगा ।

8. (एक) अनुज्ञप्तिधारी, उस दशा को छोड़कर जबकि राज्य सरकार या संचालक द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से छूट दी गई हो, प्रत्येक ग्राहक को यथास्थिती एक सही रसीद या बीजक देगा जिसमें अपना स्वयं का नाम, पता और ग्राहक का नाम, पता और अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि कोई हो), संव्यवहार की तारीख विक्रय की गई मात्रा, प्रभारित दर और कुल कीमत लिखी रहेगी और उसकी दूसरी प्रति अपने पास रखेगा, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जायेगी ।

9. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित प्रारूप में सही साप्ताहिक विवरणी अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस प्रकार भेजेगा, जिससे कि वह आगामी सोमवार को उसके पास अवश्य पहुंच जाये और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अनुदेशों का भी पालन करेगा जो केरोसीन का क्रय, विक्रय, विक्रय के लिये संग्रहण तथा उसके व्ययन के संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाऐं:-

(क) सोमवार को केरोसीन का प्रारम्भिक अतिशेष ।

(ख) सप्ताह के दौरान प्राप्त केरोसीन ।

(ग) प्राप्ति का स्थान तथा स्ट्रोत्र ।

(घ) कालम (क) तथा (ख) का योग ।

(ङ) सप्ताह के दौरान विक्रय किये गये केरोसीन की कुल मात्रा ।

(च) शनिवार को अंतिम अतिशेष ।

(छ) टिप्पणियां, यदि कोई हो (इस कालम में विक्रय की गई किन्तु परिदत्त न की गई मात्रा के ब्यौरे उसके कारणों सहित उपदर्शित किये जाये।

10. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, या राज्य सरकार या संचालक को, अपनी किसी भी दुकालन, माल गोदाम या अन्य किसी स्थान पर, जिसे केरोसीन के संग्रहण, विक्रय या कय के लिये उपायोग में लाया गया है, अपने स्टॉक तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिये तथा परीक्षण के लिये केरोसीन के नमूने लेने हेतु सभी उचित समयों पर समस्त सुविधायें देगा।

11 नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ यह अनुज्ञप्ति संलग्न की जावेगी।

12 यह अनुज्ञप्तितारीख तक विधिमान्य होगी।

स्थान'—

तारीख:—

(अनुज्ञापन अधिकारी)

नवीनीकरण का प्ष्टांकन

- (1)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई |अनुज्ञापन प्राधिकारी
- (2)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई |अनुज्ञापन प्राधिकारी
- (3)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई | अनुज्ञापन प्राधिकारी
- (4)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई |अनुज्ञापन प्राधिकारी
- (5)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई |अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुसूची

(खंड 2 का उपखंड(छ)देखिये)

तेल कम्पनियां

1. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड(विभाग मार्केट यूनिट)
- (4) इण्डो-बर्मा,पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड
- (5) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
- (6) असम आईल कम्पनी लिमिटेड।

*e/; iznsk djkl hu Q kikh vuKliu vksk 1979 ds v/ku vk; y ds dz / fodz rFlk
fodz ds fy; sl ag. k grqvukllr t kjh djus ckr vlo'; d nlrkot @'kjd l xalk
t kudkjh %*

- 1- निर्धारित प्रारूप "क" पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस रु. 5/- के साथ
2. कम्पनी से अनुबंध की प्रति – नियुक्ति पत्र की प्रति जो कलेक्टर को संबोधित हो एवं अनुमति दिये जाने की अनुशंसा हो।
3. विस्फोटक नियंत्रक की अनुज्ञप्ति
4. भूमि के मालिकाना स्वरूप एवं डायवर्सन संबंधी दस्तावेज
5. जिला दण्डाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उनकी शर्तों का पालन
6. नक्शा- दो प्रति में।
7. निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क चालान।

8. निर्धारित प्रतिभूति राशि "राष्ट्रीय बचत पत्र" द्वारा ।

djkh lu forj. k grqgkdj dMzt kjh djus dh ifd; k:-

1. जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय को क्षेत्र विशेष में केरोसीन वितरण की आवश्यकता प्रतिपादित होने पर जिला कार्यालय समाचार पत्रों के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा ।
2. हाकर कार्ड के लिये आवेदनकर्ता संबंधित वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है ।
3. वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आता हो । अथवा उसके पास जीवकोपार्जन का कोई साधन नहीं हो ।
4. हाकर कार्ड जारी करते समय आदेश पूर्णतः अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिये जारी किया जावेगा ।

परन्तु वर्तमान में जिले में पूर्व से कार्यरत हाकर पर्याप्त संख्या में हैं एवं उपर्युक्त मापदण्डों अनुसार हाकर की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने के कारण नवीन हाकर कार्ड जारी नहीं किये जा रहे हैं ।

vkosu i#i 1/2
(foyk dj jfQuV vlf LykV 1/2 z/ fodz Hk Mj. k vlf vW/ekky eami; kx dk
fuokj. k2vks'k 2000 ds [k M 3 ds mi [k M 1 1/2 ds v/lu foyk dj jfQuV vlf
Lyki dh vuqflr t kjh djus ds fy, 1/2 vkosu dk i#i

सेवा में,

कलेक्टर/राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी

1. आवेदक का नाम.....
2. फर्म का प्रकार (जो लागू न हो उसे काट दें)
- 2 (क) पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य
2 (ख) व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता/उपभोक्ता/अन्य
3. पता
- 3 (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....
3 (ख) भण्डारण स्थल.....
4. निदेशकों (भागीदारों) स्वत्वधारियों का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर

क्रम सं.	नाम	कार्यालय		निवास	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन
1					
2					

5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञप्ति का ब्यौरा:-

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6. विक्रय-कर रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा:-

6 (क) राज्य विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारी	निम्नलिखित विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6 (ख) केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारी	निम्नलिखित विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

7. विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारी	निम्नलिखित विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

8. भण्डारण का ब्यौरा:-

टवस्थान	टैंक संख्यांक	क्षमता (किलोलीटर में)

9. उस विलायक (रेफिनेट) स्लॉप का, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उपयोग

- 1.....
- 2.....
- 3.....

10 (क) ऐसे विलायक(रेफिनेट) स्लॉप की मात्रा जिनके लिए निम्नलिखित हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है:-

विलायक	रेफिनेट स्लाप	किलोलीटर में परिणाम

(1) वह अधिशेष सामग्री, जिसके लिए विलायक (रेफिनेट स्लाप अपेक्षित है)

(2) प्रसंस्करण(ब्यौरा दें)

(ड.) खप गई विलायक (रेफिनेट) स्लाप की प्रत्येक यूनिट की अधिशेष सामग्री (प्रत्येक को पृथक रूप से दिया जाना है)

टंतिम उत्पाद	प्रतिशत
उत्पादक क	प्रतिशत
उत्पादक ख	प्रतिशत
	प्रतिशत
	प्रतिशत
छीजन	प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

Handwritten signature

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन के साथ संलग्न उपाबंध के रूप में जानकारी तथा विवरण ठीक,

पूर्ण सत्य है और यदि इसमें दिया गया कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्यवाही के लिए दायी रहूँगा।

तारीख

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

foyk d/ j'sQuS' vlf Lyki 1/2 Zi/ fodz/ Hk Mj. k vlf vlv/lek/ky' ea mi; lx dk fuokj. k/2 vks'k/ 2000 ds [kM 3 ds mi [kM 1/2 ds v/ku foyk d/ j'sQuS' vlf Lyki dh vuq'fir t'kjh djus ckr vlo'; d nLrlok @'kyd l'akh t'kud'kjh %

- 1- निर्धारित प्रारूप "क" पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस रु. 5/- के साथ
2. नगर निगम इंदौर से स्थापना पंजीकरण
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का पंजीकरण
5. वाणिज्यकर अधिकारी से व्यापार हेतु अनुमत पदार्थों की सूची
5. वाणिज्य कर विभाग का पंजीयन
6. वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से आयात-निर्यात हेतु प्रमाणीकरण
7. रजिस्ट्रार कम्पनीज का पंजीकरण
8. वाणिज्यकर विभाग का स्थायी लेखा संख्या
9. संबंधित कम्पनी की लिखित अनुमति
10. स्थल नक्शा व भूमि संबंधी दस्तावेज
11. निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क, एवं प्रतिभूति राशि ।
12. विस्फोटक नियंत्रक की अनुज्ञप्ति ।

e/; izns'k uk'Flk 1/2 fu; & k/2 fu; e/ 2000 ds v/ku uk'Flk dh vuq'fir t'kjh djus ckr vlo'; d nLrlok @'kyd l'akh t'kud'kjh %

1. निर्धारित प्रारूप "क" पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस रु. 5/- के साथ ।
2. नगर निगम इंदौर से स्थापना पंजीकरण
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का पंजीकरण
5. वाणिज्यकर अधिकारी से व्यापार हेतु अनुमत पदार्थों की सूची
5. वाणिज्य कर विभाग का पंजीयन
6. वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से आयात-निर्यात हेतु प्रमाणीकरण
7. रजिस्ट्रार कम्पनीज का पंजीकरण
8. वाणिज्यकर विभाग का स्थायी लेखा संख्या
9. संबंधित कम्पनी की लिखित अनुमति
10. स्थल नक्शा व भूमि संबंधी दस्तावेज
11. निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क, एवं प्रतिभूति राशि ।
12. विस्फोटक नियंत्रक की अनुज्ञप्ति ।

AV- m'pr e'k; n'gku v'k'ku

'k'jh {k= ds fy; %

- पात्रता—
1. जिले में कार्यरत सहकारी उपभोक्ता भण्डार ।
 2. महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार
- आवेदन कब करें— जिला आपूर्ति नियंत्रक इंदौर द्वारा रिक्ति की पूर्ति हेतु सूचना जारी होने पर ।

कहाँ आवेदन करें— जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, इंदौर / अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, इंदौर / साँवेर, / देपालपुर / महु कार्यालय स्थित खाद्य शाखा को।

दुकान आवंटन के आवेदन के निराकरण आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर।

समय सीमा—

गलत आवंटन की शिकायत कहाँ होगी— मध्य प्रदेश खाद्य पदार्थ सार्वजनिक नागरिक वितरण स्कीम, 1991 के प्रावधानों के कलेक्टर, इंदौर को 30 दिवस के अंदर उ करने के प्रावधान हैं।

खेती/कृषि/सहकारी/संस्था/...

पात्रता— कृषि साख सहकारी समितियाँ।

आवेदन कब करें— अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रिक्तियों की पूर्ति हेतु सूचना जारी करने पर।

कहाँ आवेदन करें— अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय स्थित खाद्य शाखा को।

दुकान आवंटन के आवेदन के निराकरण आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर।

की समय सीमा—

गलत आवंटन की शिकायत कहाँ होगी— मध्य प्रदेश खाद्य पदार्थ सार्वजनिक नागरिक वितरण स्कीम, 1991 के प्रावधानों के तहत कले भोपाल को 30 दिवस के अंदर अपील करने प्रावधान हैं।

दुकान आवंटन/...

क्रमांक / खाद्य/अनुबंध पत्र/ इंदौर, दिनांक

क. एफ. 6-28-93-उत्तीस-2- राज्य सरकार फूड स्टफ्स (डिस्ट्रीब्यूशन) कंट्रोल ऑर्डर, 1960 के खण्ड 4 के अनुसरण में बनाई गई मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति विवरण स्कीम, 1991 के खण्ड 5 के अन्तर्गत तथा इस विभाग के विज्ञप्ति क्र. एफ 6-63-91-उत्तीस-2, दिनांक 9 सितम्बर 1991 को निरस्त करते हुए निम्नलिखित अनुबंध पत्र विहित करता है:—

व्यक्तिगत/...

यह करार आज दिनांक माह वर्ष को मध्यप्रदेश के राज्यपाल जो के माध्यम से कार्य कर रहे हैं जिन्हें इसके पश्चात राज्यपाल कहा जाएगा प्रथम पक्षकार तथा म0प्र0 सहकारी सोसाइटी एक्ट 1960 के अधीन पंजीकृत..... सहकारी सोसायटी/उपभोक्ता भण्डार जिसका पंजीकृत कार्यालय में स्थित है, द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी..... (मुख्य/कार्यपालन अधिकारी) आत्मज/आत्मजा/पत्नी आयु..... निवासी..... स्थान..... तहसील एवं राजस्व जिला ... मध्यप्रदेश द्वितीय पक्षकार के मध्य निष्पादित किया जाता है:—

चूंकि राज्य सरकार द्वारा खोली गई या खोली जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के मार्फत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम, 1991 के नाम से लागू की गई है और चूंकि उक्त मध्यप्रदेश फूड स्टफ्स (डिस्ट्रीब्यूशन) कंट्रोल ऑर्डर 1960 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के अधीन कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है कि वह सरकारी स्कीम के अधीन किसी भी क्षेत्र में खाद्य पदार्थों का वितरण करने की दृष्टि से किसी भी सहकारी संस्था को "फुटकर विक्रेता" नियुक्त करें। इस स्कीम के सम्यक पालन के लिए आवंटित को प्रति दुकान राशि रुपये 500/- और चूंकि द्वितीय पक्षकार ने दिनांक के अपने आवेदन पत्र द्वारा राज्य सरकार को आवेदन किया है कि स्थान

..... नगरग्राम..... तहसील.....
 पंचायत/खण्ड..... राजस्व जिला..... में स्थित दुकान, उचित मूल्य की दुकान के रूप में आवंटन हेतु अनुमोदित की जाए और द्वितीय पक्षकार को खाद्य पदार्थों के क्रय, विक्रय तथा वितरण के लिए आवंटिती तथा प्राधिकृत विक्रेता के रूप में नियुक्त किया जाए।

और चूंकि राज्यपाल द्वितीय पक्षकार को, इसमें इसके पश्चात दिये गये निर्बन्धनों पर तथा दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए उपरिंकथित स्थान पर उचित मूल्य की दुकान क्रमांक
 ... आवंटित करने के लिए रजामंद हो गई है। और चूंकि द्वितीय पक्षकार ने इस करार के निष्पादन की तारीख को या उसके पूर्व उपर्युक्त स्कीम के पैरा 5 के भाग (दो) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार निर्बन्धनों तथा शर्तों का सम्यक पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में रुपये राशि जमा कर दी है।

इसके प्रतिफल स्वरूप, इस करार में उल्लिखित उचित मूल्य की दुकान राज्यपाल द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कमीशन, परिवहन की लागत तथा अन्य व्ययों के आधार पर द्वितीय पक्षकार को आवंटित की है।

यह विलेख निम्नलिखित का साक्ष्य है:-

1. राज्यपाल एतद द्वारा उपर्युक्त स्थान पर युक्त दुकान क्रमांक के उचित मूल्य की दुकान के रूप में आवंटन को अनुमोदित करती है और खाद्य पदार्थों के ऐसे स्टॉक, के जो द्वितीय पक्षकार को दिया जाए, क्रय हेतु, तथा ऐसी दरों पर, जो कि, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से समय-समय पर नियत की जाए, उसके वितरण तथा विक्रय हेतु, उक्त उचित मूल्य की दुकान के संबंध में आवंटिती तथा प्राधिकृत फुटकर विक्रेताओं के रूप में द्वितीय पक्षकार की नियुक्ति को अनुमोदित करती है।
2. इसमें दी गई कोई बात, उक्त स्कीम के अधीन उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए द्वितीय पक्षकार को कोई एकाधिकार या सम्पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करेगी या उससे यह नहीं समझा जाएगा कि उक्त स्कीम के अधीन उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए कोई एकाधिकार या सम्पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्षकार को प्रदत्त कर दिये हैं तथा राज्यपाल को भी समय-समय पर यह स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उक्त क्षेत्र में कितनी भी संख्या में उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करें तथा आवंटिती तथा प्राधिकृत फुटकर विक्रेता के रूप में किन्हीं अन्य पात्र संस्थाओं को नियुक्त करें।
3. द्वितीय पक्षकार, उसके आवंटित उचित मूल्य की दुकान राज्यपाल के लाभ के लिए संचालित करेगा तथा चलाएगा, किन्तु द्वितीय पक्षकार को उचित मूल्य की दुकान के संबंध में कोई वैद्य हक प्राप्त नहीं होगा।
4. इस करार के चालू रहने के दौरान, द्वितीय पक्षकार, समय-समय पर तथा पर्याप्त समय पूर्व राज्यपाल ऐसे आयोजन के लिए समय-समय पर प्राधिकृत उसके अधिकारी को, ऐसी निश्चित मात्रा में तथा ऐसी रीति में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित या उपदर्शित किया जाए, उसको द्वितीय पक्षकार खाद्य पदार्थों की आवश्यकताओं के क्रय हेतु आदेश (ऑर्डर) प्रस्तुत करेगा और यह कि ऐसे सभी आदेश (आर्डर) आवेदन के रूप में होंगे जो संबंधित राजस्व जिले के कलेक्टर या उस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को संबोधित किये जाएंगे और ऐसे आवेदन का प्रारूप राज्य सरकार या संबंधित राजस्व जिले के कलेक्टर द्वारा विहित किया जावेगा।
5. उपरोक्तानुसार खाद्य पदार्थों के प्रदाय हेतु ऑर्डर के प्राप्त होने पर राज्य सरकार उसके सत्यापन के पश्चात खाद्य पदार्थों की उतनी मात्रा या उसका उतना भाग, जो कि राज्य सरकार उचित समझे दे सकेगी।
6. उक्त खण्ड (5) में उपबंधित किये गये अनुसार दिया गया स्टॉक उठाने के पूर्व द्वितीय पक्षकार उस थोक व्यापारी को या किसी अन्य ऐसे अभिकरण (एजेंसी) को, जिससे कि माल का परिदान लिया जाना है, तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल द्वारा या थोक

व्यापारी द्वारा या अभिकरण द्वारा, विहित की गई दर से, ऐसी रीति में जैसा कि राज्यपाल द्वारा विहित किया जाए, सम्पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान करेगा इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्षकार, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लेखों में सरकारी खजाने में या जैसा कि राज्य द्वारा अपेक्षित किया जाए, राज्य सरकार द्वारा नियत की गई दर से संबंधित खाद्य पदार्थ के संबंध में प्रशासन प्रभारी की सम्पूर्ण रकम का भी भुगतान करेगा और द्वितीय पक्षकार उसके द्वारा किये गये भुगतान के समर्थन में एक रसीदी-मूल चालान या अन्य साक्ष्य राज्यपाल द्वारा विहित रीति में पेश करेगा।

7. राज्यपाल किसी बाध्यता के अधीन नहीं होंगे कि वह द्वितीय पक्षकार द्वारा आदेशित मात्रा में उक्त खाद्य पदार्थ का प्रदाय करें और न ही राज्यपाल द्वितीय पक्षकार, के प्रति ऐसी किसी प्रतिकार या नुकसानी के लिये दायी होगा जो कि द्वितीय पक्षकार को खाद्य पदार्थ के या उसके किसी भाग के प्रदाय न किये जाने, कम प्रदाय किये जाने, मार्ग में हानि या परिदान में विलम्ब होने या उसमें नुकसान या उसके खराब होने के कारण हो। द्वितीय पक्षकार अकेले ही ऐसी नुकसानी या हानि वहन करेगा। परन्तु द्वितीय पक्षकार द्वारा आदेशित मात्रा में खाद्य पदार्थ का प्रदाय न करने या कम मात्रा में प्रदाय करने की दशा में उतनी मात्रा के संबंध में जो प्रदाय न की गई हो, या कम प्रदाय की गई हो, अनुपातिक मूल्य तथा आनुपातिक प्रशासनिक प्रभार द्वितीय पक्षकार को लौटा दिया जाएगा या यदि खाद्य पदार्थ की कोई मात्रा परिदत्त न की गई हो या कम परिदत्त की गई हो तो भावी पदार्थों के प्रति समायोजित की जा सकेगी। राज्यपाल द्वारा प्राधिकारी द्वारा या उस थोक विक्रेता या अभिकरण के द्वारा, जहां से माल उठाया गया हो, हस्ताक्षरित उस संबंध में एक प्रमाण-पत्र जिसमें परिदत्त की गई मात्राओं के परिमाण-प्रमाणित किये गये हो, किसी काट या दुरभिसंधि या त्रुटि के न होने की स्थिति में अंतिम होगा तथा पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।
8. द्वितीय पक्षकार:- (क) ऊपर के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट साग पत्र नियमित अन्तरावधियों में तथा पर्याप्त समय पहले भेजेगा और इस करारनामों की सम्पूर्ण अवधि के दौरान खाद्य पदार्थ का पर्याप्त भण्डार उक्त उचित मूल्य की दुकान में रखेगा।
 - (ख) उक्त खाद्य पदार्थ को अच्छी स्थिति सदैव मानव उपभोग के लिए उपयुक्त स्थिति में सुरक्षित रखेगा।
 - (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए निम्नलिखित बोर्ड प्रदर्शित करेगा:-
 - (एक) आवंटित उचित मूल्य की दुकान के बिल्कुल ऊपर सामने की ओर एक बोर्ड हिन्दी में लगाया जाएगा, जिसमें प्राधिकृत विक्रेता का आवंटन क्रमांक, नाम, पता तथा सार्वजनिक लेनदेन के लिए दुकान खुली रहने का समय लिखा रहेगा। यह बोर्ड 150ग 75 से.मी. के आकार का होगा। बोर्ड का रंग नीला होगा। तथा जिस पर शीर्षक "उचित मूल्य की दुकान" बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा।
 - (दो) दूसरा बोर्ड हिन्दी में मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम 1991 के पैरा 10(1) में तथा उपबंधित तरीके से आवंटित उचित मूल्य के दुकान के किसी सहजगोचर स्थान पर लगाया जाएगा, जिसमें तारीख, स्टॉक की स्थिति तथा उस दिन विभिन्न खाद्य पदार्थों की फुटकर कीमत प्रत्येक यूनिट पर वितरण हेतु अनुज्ञेय मात्रा तथा संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर रजिस्ट्रीकृत यूनिटों की संख्या सफेद रंग से लिखी रहेगी। इस बोर्ड का आकार 120 से.मी.ग90 से.मी. होगा और वह काले रंग से पुता होगा।
 - (घ) सहकारी संस्था संबंधित उचित मूल्य दुकान चलाने संबंधी प्राधिकार प्रदर्शित करेगा।

- (ड.) सहकार संस्था सरकार द्वारा जारी किये गये परिवार राशनकार्ड धारण करने वाले व्यक्तियों को ऐसे कार्ड पेश करने पर अनुज्ञेय मात्रा में और ऐसे मूल्यों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर नियत की जाय। उक्त खाद्य पदार्थों को बेचेगा और राशनकार्डों में खाद्य पदार्थों के विक्रय या वितरण के लिये दिये गये स्थान में सभी आवश्यक प्रविष्टियां करेगा या करवायेगा।
- (च) राशन कार्ड धारियों को असुविधा न हो इस उद्देश्य से पर्याप्त रेजगारी रखेगा।
- (छ) प्रत्येक दुकान पर चालू वित्तीय वर्ष में उक्त खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, वितरण तथा विक्रय की स्पष्ट रूप से की गई अद्यतन सही-सही तथा उचित लेखे, समर्पण वाऊचर और अन्य कागजात सहित रखेगा या रखवायेगा और विशेष रूप से राज्यपाल द्वारा निहित प्रारूप में निम्नलिखित पुस्तकें, रजिस्टर तथा फाइलें रखेगा अर्थात् जिस तारीख को वितरण किया जाता है उसी तारीख को लेखा पूर्ण करेगा:-
- (एक) शिकायत पुस्तक,
 (दो) हिदायत पुस्तक (निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सामान्य हिदायतों के लिए)
 (तीन) राशनकार्ड रजिस्टर,
 (चार) निगम एजेन्सियों से प्राप्त गोदाम बिलों की फाइलें,
 (पांच) मांग पत्रों की प्रतियों की फाइल,
 (छ:) स्टॉक रजिस्टर,
 (सात) केश-मेमो बुक,
 (आठ) दैनिक बिक्री रजिस्टर,,
 (नौ) केश बुक,
 (दस) खाता (लेजर)
- (ज) कलेक्टर द्वारा नियत तारीखों को, यथा स्थिति कलेक्टर, खाद्य अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी को खाद्य पदार्थों के क्रय एवं विक्रय की साप्ताहिक विवरणी देगा। ताकि मांग पत्र विहित फार्म में प्रत्येक मास में भेजेगा।
- (झ) यदि द्वितीय पक्षकार को एक से अधिक दुकानें आवंटित की गई हो तो वह ऐसी प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए लेखाओं के पृथक सेट रखेगा।
- (अ) ऐसे समस्त अनुदेशों का पालन करेगा और उन्हें लागू करेगा जो उसे राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय या विक्रय हेतु संग्रहण के लिये समय-समय पर दिये जाएंगे।
- (ट) सहकारी संस्था या मुख्य कार्यपालन अधिकारी उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा, इसके अतिरिक्त सहकारी संस्था के प्रबंधक, सेल्समेन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न कर्मचारी जिन्हें द्वितीय पक्षकारों के अनुदेशों के अधीन या लाभ के लिए आवंटित उचित मूल्य की दुकान पर कार्य करने की अनुमति दी गई हो, समस्त कृत्यों तथा अकृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा।
9. द्वितीय पक्षकार:- (क) उसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी किस्म या समान किस्म के किसी खाद्य पदार्थ की खरीद, वितरण या बिक्री में स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं करेगा।
- (ख) (एक) संबंधित आवंटित उचित मूल्य की दुकान या

- (दो) यथास्थिति कलेक्टर या खाद्य अधिकारी/नियंत्रक/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य स्थान को छोड़कर किसी भी स्थान पर, उसके द्वारा उठाये गये खाद्य पदार्थों का स्टॉक या संग्रहण नहीं करेगा।
- (ग) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित में पूर्व अनुमति को छोड़कर उक्त खाद्य पदार्थों के स्टॉक को नष्ट नहीं करेगा।
- (घ) उक्त खाद्य पदार्थों में कोई अन्य अनाज, धूल मिट्टी नहीं मिलाने देगा या उनहे क्षय ग्रस्त, क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं होने देगा।
- (ङ) उक्त खाद्य पदार्थ को :-
 (एक) किसी ऐसे व्यक्ति को जो वैद्य राशनकार्ड प्रस्तुत नहीं करता।
 (दो) किसी राशनकार्ड पर जो रद्द कर दिया गया हो।
 (तीन) किसी राशनकार्ड पर जो किसी कारण से अवैद्य हो।
 (चार) उस राशन कार्ड की संख्या पर कलेक्टर ने खरीद के लिये प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी किया हो, नहीं देगा या बेचने का प्रयास नहीं करेगा।
- (च) कार्डधारी को बेचे गये खाद्य पदार्थों को अपने पास नहीं रखेगा।
- (छ) किसी राशनकार्डधारी के किसी राशनकार्ड को अपने पास नहीं रखेगा।
- (ज) उपरोक्त पैरा (8) के खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट लेखा पुस्तकें तथा कागज पत्रों या उनमें से किसी को उक्त उचित मूल्य दुकान से नहीं हटायेगा और
- (झ) शासन द्वारा गठित निगरानी समिति के सदस्यों से माल प्राप्ति एवं वितरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
- 10-** राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को नायब तहसीलदार के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी के न हो और जो खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के सभी अधिकारियों को, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के सहायक निरीक्षक के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर युक्तियुक्त समय में उचित मूल्य की दुकान पर पूर्ण और निर्बाद पहुंच होगी और वह उक्त दुकान में प्रवेश कर सकेंगे तथा सभी पुस्तकों, कागज पत्रों, व्हाउचरों तथा उक्त पदार्थों का स्टॉक का निरीक्षण कर सकेंगे और उनके नमूने ले सकेंगे और द्वितीय पक्षकार ऐसे निरीक्षण करने में तथा नमूने लेने में उनको पूरी सहायता देगा और प्रत्येक सुविधाये प्रदान करेगा और उनके समक्ष समस्त सुसंगत पुस्तकें और कागज पत्र और व्हाउचर प्रस्तुत करेगा और मांग करने पर ऐसे उद्धरण या प्रतिलिपियां या विवरण प्रदान करेगा जैसा उनके द्वारा अपेक्षित किया जाये या जो कि आवश्यक समझे जायें।
- 11-** द्वितीय पक्षकार इस करार के किन्ही निर्बंधनों तथा शर्तों में से किसी भी भंग होने की दशा में राज्य सरकार स्वतंत्र होगी की वह इसके लिये विधि में उपलब्ध किन्ही अन्य विधिक उपचारों (जिसमें इस करार का पर्यावसान सम्मिलित है) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दंड स्वरूप प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण रकम या उसका कोई भी भाग जप्त करें या इस करार के अधीन शोध्य किन्ही राशि को तुष्टि में या उसके प्रति और इस करार के अधीन किसी दाबा या किसी मांग के लिये (चाहे परिनिर्धारित हो नहीं) जो किसी भी समय सरकार द्वारा या सरकार की ओर से द्वितीय पक्षकार से या उसके विरुद्ध किया जावे या की जावे (प्रतिभूति जमा की) विनियोजित करें। द्वितीय पक्षकार जमा की मूल रकम को हमेशा बनाये रखेगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर जमा की मूल रकम को पूरा करने के लिये नकदी रकम तत्काल जमा करेगा। द्वितीय पक्षकार के द्वारा इस करार के अधीन समस्त बाध्यताओं का समयक रूप से पालन कर दिये जाने पर जमा की वह रकम या उसका ऐसा भाग जो उपर्युक्त अनुसार समपद्धत या विनियोजित न किया गया हो। इस करार पर्यावसान हो जाने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार को लौटा दिया जावेगा या अंतरित कर दिया जावेगा। इस करार का

पर्यावसान करने, उचित मूल्य की दुकान को रद्द करने या सम्पूर्ण जमा राशि या उसके किसी भाग को समझत करने के लिये कोई कार्यवाही, यथास्थिती राज्य सरकार या कलेक्टर या कलेक्टर/खाद्य अधिकारी/नियंत्रक या उपखण्ड अधिकारी द्वारा तबतक नहीं की जावेगी जब तक की कारण बताओं सूचना द्वितीय पक्षकार को न दे दी गई हो और उस पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।

- 12- राज्यपाल की ओर इस करार के अधीन दी जाने वाली समस्त सूचनाये, सहमतियां तथा अनुज्ञापं लिखित में होगी और उन पर यथास्थिती राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/खाद्य अधिकारी/नियंत्रक या उपखण्ड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे और द्वितीय पक्षकार को दी जाने वाली कोई सूचना उस स्थिती में समयक रूप से तामील की गई समझी जावेगी जबकि यह सूचना विशेष वाहक द्वारा दी गई हो या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो, उक्त दुकान के द्वितीय पक्षकार का परिदत्त कर दी गई हो , उसी प्रकार इस करार के अधीन राज्य सरकार को दी जाने वाली समस्त आशयित सूचनाये लिखित में होगी और उनहे सरकार पर समयक रूप से तामील किया गया समझा जावेगा जबकि या यथास्थिती कलेक्टर/सहायक कलेक्टर /खाद्य अधिकारी/नियंत्रक या उपखण्ड अधिकारी पर तामील की गई हो ।
- 13- किसी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को 30 दिन की लिखित सूचना उस संबंध में देकर इस करार का पर्यावसान करने की स्वतंत्रता होगी और ऐसी सूचना कि कालाबधि समाप्त होने पर किसी अधिकार पर जो ऐसे पर्यावसान के पूर्व राज्य सरकार को प्रोधभूत हुआ हो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह करार नहीं रहेगा तथा उसका पर्यावसान हो जावेगा और ऐसी समाप्ति पर राज्य सरकार यह विकल्प होगा कि वह द्वितीय पक्षकार से अपेक्षा करें कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को लागत मूल्य पर खाद्य पदार्थ का अवितरित भंडार बेचें और अंतरित कर दे किन्तु ऐसे पर्यावसान का खाद्य पदार्थ की पूर्ति के लिये ऐसे आदेश के संबंध में जो ऐसे पर्यावसान के पूर्व दिया गया हो द्वितीय पक्षकार के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- 14- द्वितीय पक्षकार मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम 1991 में अंतरविष्ट शर्तों के अनुसार कार्य करेगा ।
- 15- करार के संबंध में देयक स्टाम्प शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 16- अनुबंध पत्र को उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन माना जाकर दण्डनीय होगा ।

इस साक्ष्य में..... मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अपने हस्ताक्षर किये है और इस कार्यालय की मोहर लगाई है और श्री/श्रीमती/कुमारी/..... ने ऊपर उल्लेखित तारीख तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये है, निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में श्री/श्रीमान/कुमारी..... ने हस्ताक्षर किये मोहर लगाई तथा परिदत्त किया:-

- (1). नाम.....
.... पता.....
.....
- (2) नाम.....
.... पता.....
.....ऊपर नामांकित श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....ने श्री
.....और श्री.....
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये तथा परिदत्त किया ।

हस्ताक्षर.....
अध्यक्ष.....
संस्था.....

2- V - jk'ku dM

1. गरीबी रेखा के राशन कार्ड हेतु शहरी विकास अभिकरण कार्यालय द्वारा जारी सर्वे सूची में नाम दर्ज होना चाहिये।
कौन जारी करेगा- जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी।
आवेदन पश्चात राशनकार्ड जारी करने की अवधि- 30 दिवस में
2. सामान्य राशनकार्ड हेतु-
आवेदन उपलब्धता- 1. ग्राम पंचायत कार्यालय।
2. नगर पंचायत/ नगर निगम प्रक्षेत्र में (उनके संबंधित कार्यालय में)
कौन जारी करेगा- जिला मुख्यालय पर- नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशनकार्ड जारी किए जावेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए- ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जावेंगे।
आवेदन पश्चात राशनकार्ड जारी करने की अवधि- 30 दिवस में

u; k jk'ku dMzi Mr djusgrq?Wsk k i= 1g vksnu :-

iz= 4^

u; k jk'ku dMzi Mr djusgrq?Wsk k i= 1g vksnu

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- इंदौर
मध्य प्रदेश ।

1. मैं(परिवार के मुखिया का नाम) पुत्र/पत्नी.....
2. वर्तमान पता.....गली नं..... मोहल्ला..... वार्ड नं.
3. स्थायी पता गली नं..... मोहल्ला..... वार्ड नं.
इस नगर में वर्ष से रहता हूँ ।
4. गरीबी की रेखा की सूची में उसका सरल क्रमांक वार्ड क्र..... है ।
5. व्यवसाय पद वार्षिक आय
6. कार्य स्थल/कार्यालय का पता
7. मेरा वर्तमान राशन कार्ड नं. सदस्य संख्या..... यूनिट संख्या..... है व उचित मूल्य दुकान क्रमांक है ।
8. मेरे पास ग्राम तहसील जिला
(मध्य प्रदेश का राशन कार्ड क्रमांकहै जो मैं इस घोषणा पत्र के साथ जमा कर रहा हूँ)
9. मुझे पूर्व में कभी राशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है ।
10. मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण (आज की स्थिति में) निम्नानुसार है :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	आयु	मुखिया से रिश्ता
---------	--------------	-----	------------------

1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

11. मैं यह घोषणा करता हूँ कि कंडिका 10 में मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों का विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य के नाम न तो पृथक से राशन कार्ड हैं तथा न ही उनमें से किसी का नाम मध्याप्रदेश के किसी भी जिले के राशनकार्ड में दर्ज है । मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मैंने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है । मुझे ज्ञात है कि यदि स्थल निरीक्षण या अन्य जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं भारतीय दण्ड संविधान तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्ड का भागी हूँगा जिसके तहत 7 वर्ष का कारावास तथा अर्धदण्ड दोनों की सजा दी जा सकती है ।

स्थल
दिनांक

हस्ताक्षर (मुखिया)
नाम

12. मैं (गवाह का नाम) आत्मज
निवास मकान नं. गली..... मोहल्ला
वार्ड नं. आवेदक श्री द्वारा कंडिका 10 में दी गयी समस्त
जानकारी की पुष्टि करता है कि मुझे ज्ञात है कि झूठी पुष्टि करने के फलस्वरूप मुझे कानूनी
दण्ड दिया जा सकता है ।

हस्ताक्षर (मुखिया)
गवाह राशन कार्ड नं.....
दुकान नं.....

दोय दक लः; दसमि; लः दस्यु; स
LEky fujlk k fji WZ

Jh..... (मुखिया का नाम) के घर पर दिनांक
..... को जांच की तथा उनका मौके पर निवास प्रमाणित होता है / नहीं होता है, उनका सर्वे
सूची क्रमांक पर नाम अंकित है / सर्वे सूची में नाम उपलब्ध नहीं है ।

हस्ताक्षर (जांच कर्ता)
नाम (जांच कर्ता)

हस्ताक्षर (जांच कर्ता)
नाम (जांच कर्ता)

i; Bskd ny dh fji WZ

स्थल निरीक्षण में आवेदक परिवार का मौके पर निवास प्रमाणित हुआ है/ नहीं हुआ है अतः परिवार को नया राशन कार्ड कमांक जारी किया जाये/ राशन कार्ड जारी नहीं किया जाये ।

हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक क. (1)

हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक क. (2)

नोट :- इस आवेदन के साथ परिवार के मुखिया की दो पासपोर्ट फोटो, राशन कार्ड शुल्क रुपये की रसीद तथा पुराना राशन कार्ड (जिनके पास है) जमा करना अनिवार्य है ।

राशन कार्ड हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदक आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां विधिवत पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र पर एक गवाह से जानकारी की पुष्टि कराने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट फोटो, निवास की पुष्टि का दस्तावेज, राशन कार्ड शुल्क के साथ कार्यालय में जमा करेगा ।
2. कार्यालय आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर आवेदन पत्र की जांच कराकर आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही पाये जाने एवं संबंधित सर्वे सूची में आवेदक का कमांक व नाम पाये जाने पर राशन कार्ड जारी करेगा । अपात्र पाये जाने पर आवेदक को सूचित किया जावेगा ।

fclhgdzkl 5 & dR; kdsfuokgu grqfu; e/ fofu; e/ vups'h fun' kdk vls vfhys'k i t h

- 5.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची-

vfhys'k dk ule आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

अभिलेख का प्रकार .अधिनियम

vfhys'k dk l i Mr i fjp; &

अधिसूचित आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित दर, निर्धारित मात्रा के संबंध में नियम, अनुदेश बनाने की शक्तियां एवं इस प्रकार बनाये गये नियमों के उल्लंघन होने पर दण्ड की शक्तियां ।

fu; e/ fofu; e/ vups'h fun' kdk vls vfhys'k dh

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

i fr dgkl si Mr dj l drsg

विभाग मध्यप्रदेश शासन की बेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है ।

fu; e/ fofu; e/ vups'h fun' kdk vls vfhys'k dh i fr
ds i Mr djus dk 'h' d' in d' b' Z' g' k' s'

—” —

vfhys'k dk ule उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

अभिलेख का प्रकार .. अधिनियम

vftkyqk dk l ftr ifjp; -

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के संबंध में नियम

fu; ej fofu; ej vuqns'lfun' kdk vlf vftkyqk dh i fr dgla l si tr dj l drsg

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट पर www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

fu; ej fofu; ej vuqns'lfun' kdk vlf vftkyqk dh i fr dks i tr djus dk 'lf d' 1/2 in dkbZgk' 2

---"---

vftkyqk dk ule. म.प्र.खाद्य पदार्थ (वितरण नियंत्रण) आदेश, 1960 .

vftkyqk dk i zlj & आदेश

vftkyqk dk l ftr ifjp; &

खाद्य पदार्थों के समुचित वितरण हेतु स्कीम जारी करना एवं उपभोक्ताओं को राशन कार्ड जारी करना ।

fu; ej fofu; ej vuqns'lfun' kdk vlf vftkyqk dh i fr dgla l si tr dj l drsg

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

संरक्षण

विभाग मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट पर

www.mp.nic.in/mpfood

पर उपलब्ध है।

fu; ej fofu; ej vuqns'lfun' kdk vlf vftkyqk dh i fr dks i tr djus dk 'lf d' 1/2 in dkbZgk' 2

---"---

vftkyqk dk ule. मध्य प्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति स्कीम, 1991

vftkyqk dk i zlj .स्कीम

vftkyqk dk l ftr ifjp; &

स्कीम बनाकर शासन द्वारा निर्धारित वस्तुओं के पदाय एवं वितरण पर नियंत्रण ।

fu; ej fofu; ej vuqns'lfun' kdk vlf vftkyqk dh i fr dgla l si tr dj l drsg

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट पर www.mp.nic.in/mpfood उपलब्ध है।

fu; ej fofu; ej vuqns'lfun' kdk vlf vftkyqk dh i fr dks i tr djus dk 'lf d' 1/2 in dkbZgk' 2

---"---

vftkyqk dk ule. मध्य प्रदेश केरोसीन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश, 1979

vftkyqk dk i zlj .. आदेश

vftkyqk dk l ftr ifjp; -

अनुज्ञप्ति जारी कर केरोसीन के व्यापार पर नियंत्रण रखना ।

fu; e/ fofu; e/ vuq's'k fun' kdk v'k v'fky's'k dh
संरक्षण

i'fr dgkals i'fr dj l drsg's
वेबसाईट

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभ

विभाग मध्यप्रदेश शासन की

www.mp.nic.in/mpfood पर
उपलब्ध है ।

fu; e/ fofu; e/ vuq's'k fun' kdk v'k v'fky's'k dh i'fr
dk i'fr djus dk 'k'd'k' in dk'Zgk'k'

—'—

v'fky's'k dk l'k'le. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल
(अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980

अभिलेख का प्रकार .आदेश

v'fky's'k dk l'k'le i'fr; &

अनुज्ञप्ति जारी कर मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल पर नियंत्रण रखना ।

fu; e/ fofu; e/ vuq's'k fun' kdk v'k v'fky's'k dh
संरक्षण

i'fr dgkals i'fr dj l drsg's
पर

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

भाग मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईट

www.mp.nic.in/mpfood
पर उपलब्ध है ।

fu; e/ fofu; e/ vuq's'k fun' kdk v'k v'fky's'k dh i'fr
dk i'fr djus dk 'k'd'k' in dk'Zgk'k'

—'—

v'fky's'k dk l'k'le. मध्य प्रदेश चावल उपाप्ति

(उदग्रहण)आदेश, 1970

अभिलेख का प्रकार ..आदेश

v'fky's'k dk l'k'le i'fr; -

शासकीय योजनाओं के लिये पूल हेतु चावल का उपाजर्न ।

fu; e/ fofu; e/ vuq's'k fun' kdk v'k v'fky's'k dh
i'fr dgkals i'fr dj l drsg's

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की

वेबसाईट www.mp.nic.in/mpfood
पर उपलब्ध है ।

fu; e/ fofu; e/ vuq's'k fun' kdk v'k v'fky's'k dh i'fr
dk i'fr djus dk 'k'd'k' in dk'Zgk'k'

—'—

vftkyſk dk uke. म.प्र. नाथ्या (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण)
आदेश, 2000

vftkyſk dk izlj& आदेश

vftkyſk dk l ftr ifp; &

अनुज्ञप्ति जारी कर नाथ्या के विक्रय पर नियंत्रण रखना ।

fu; e/ fofu; e/ vuqſh funſ' kdk vlf vftkyſk dh
संरक्षण

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

itr dgalsitr dj l drsgſ
वेबसाइट

विभाग मध्यप्रदेश शासन की

www.mp.nic.in/mpfood

पर उपलब्ध है ।

fu; e/fofu; e/vuqſhfunſ' kdk vlf vftkyſk dh itr
dkitr djusdk 'h'd'fn dkbZgkſ

—'—

vftkyſk dk uke. म.प्र. विलायक, रेफिनेट और स्लाप
(अनुज्ञापन एवं नियंत्रण)आदेश, 2000

vftkyſk dk izlj आदेश

vftkyſk dk l ftr ifp; &

अनुज्ञप्ति जारी कर विलायक, रेफिनेट और स्लाप पर नियंत्रण रखना ।

fu; e/ fofu; e/ vuqſh funſ' kdk vlf vftkyſk dh
संरक्षण

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

itr dgalsitr dj l drsgſ
वेबसाइट

विभाग मध्यप्रदेश शासन की

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है ।

fu; e/fofu; e/vuqſhfunſ' kdk vlf vftkyſk dh itr
dkitr djusdk 'h'd'fn dkbZgkſ

—'—

vftkyſk dk uke. मध्य प्रदेश खाद्य पदार्थ
(खान पान स्थापना द्वारा मूल्य प्रदर्शन) आदेश, 1983

vftkyſk dk izlj .. आदेश

vftkyſk dk l ftr ifp; -

खानपान स्थापनाओं पर मूल्य से उपभोक्ताओं को अवगत कराना ।

fu; e/ fofu; e/ vuqſh funſ' kdk vlf vftkyſk dh
itr dgalsitr dj l drsgſ

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की वेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध

fu; e|fofu; e|vuqns'lfun' kdk vlf vfhys'k dh i'fr _____"
dl's i'fr djus dk 'lf'd'fn d'bzgk'z

vfhys'k dk ule. मध्य प्रदेश नमक नियंत्रण आदेश, 1963

अभिलेख का प्रकार .आदेश

vfhys'k dk l'fr i'fr; &

नमक के विक्रय पर नियंत्रण रखना ।

fu; e|fofu; e|vuqns'lfun' kdk vlf vfhys'k dh
i'fr dg'als i'fr dj l drsg'

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की वेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध

fu; e|fofu; e|vuqns'lfun' kdk vlf vfhys'k dh i'fr _____"
dl's i'fr djus dk 'lf'd'fn d'bzgk'z

vfhys'k dk ule. म.प्र. चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक
वस्तु प्रदाय बनाये रखना आदेश, 1980

vfhys'k dk i'zlj .. आदेश

vfhys'k dk l'fr i'fr; -

आवश्यक वस्तुओं के पदाय में कदाचार करने वालों को दण्डित कराना ।

fu; e|fofu; e|vuqns'lfun' kdk vlf vfhys'k dh
i'fr dg'als i'fr dj l drsg'

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की वेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है

fu; e|fofu; e|vuqns'lfun' kdk vlf vfhys'k dh i'fr _____"
dl's i'fr djus dk 'lf'd'fn d'bzgk'z

vfhys'k dk ule केरोसीन (उपयोग पर पर निर्वन्धन
तथा अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993

vfhys'k dk i'zlj & आदेश

vfhys'k dk l'fr i'fr; &

केरोसीन का मूल्य निर्धारण एवं दुरुपयोग पर निर्वन्धन ।

fu; e|fofu; e|vuqns'lfun' kdk vlf vfhys'k dh
i'fr dg'als i'fr dj l drsg'

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की वेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है

fu; e/fofu; e/vuqns'kfunz' kdk vlf vfhys'k dh i'fr _____"
dk i'fr djus dk 'k'd' in dk'Zgk'z

vfhys'k dk ule. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आयल (प्रदाय तथा वितरण का विनि और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 *vfhys'k dk izlj* .आदेश

vfhys'k dk l'fr i'fr; &

पेट्रोल एवं डीजल के प्रदाय एवं वितरण में अनाचार का निवारण ।

fu; e/fofu; e/vuqns'k funz' kdk vlf vfhys'k dh खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
i'fr dgk' l'fr dj l drsg' उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
 बेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood

उपलब्ध है ।

fu; e/fofu; e/vuqns'kfunz' kdk vlf vfhys'k dh i'fr _____"
dk i'fr djus dk 'k'd' in dk'Zgk'z

vfhys'k dk ule. द्रवित पेट्रोलियम गैस
 (प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश, 2000

vfhys'k dk izlj .. आदेश

vfhys'k dk l'fr i'fr; -

द्रवित पेट्रोलियम गैस के पदाय और वितरण पर नियंत्रण रखना ।

fu; e/fofu; e/vuqns'k funz' kdk vlf vfhys'k dh खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
i'fr dgk' l'fr dj l drsg' उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
 शासन की बेबर

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है

fu; e/fofu; e/vuqns'kfunz' kdk vlf vfhys'k dh i'fr _____"
dk i'fr djus dk 'k'd' in dk'Zgk'z

vfhys'k dk ule. द्रवित पेट्रोलियम गैस

(मोटर यानों में उपयोग का विनियमन)आदेश, 2001

अभिलेख का प्रकार .आदेश

vffhys/k dk l & Mr ifjp; &

द्रवित पेट्रोलियम गैस का मोटरयानों में उपयोग पर नियंत्रण ।

*fu; e/ fofu; e/ vuqns'k funs' kdk vlf vffhys/k dh
i fr dgla/ si Mr dj l drsgs*

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबर

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है

*fu; e/ fofu; e/ vuqns'k funs' kdk vlf vffhys/k dh i fr
dks i Mr djus dk 'k'd' 1/2 fn dks Zgk'2*

---"---

vffhys/k dk uke. नाथा (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और

आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 *vffhys/k dk izlj* ..आदेश

vffhys/k dk l & Mr ifjp; -

नाथा के अर्जन, विक्रय, भण्डारण को अनुज्ञप्ति जारी कर नियंत्रित करना ।

*fu; e/ fofu; e/ vuqns'k funs' kdk vlf vffhys/k dh
i fr dgla/ si Mr dj l drsgs*

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबर

www.mp.nic.in/mpfood

उपलब्ध है ।

*fu; e/ fofu; e/ vuqns'k funs' kdk vlf vffhys/k dh i fr
dks i Mr djus dk 'k'd' 1/2 fn dks Zgk'2*

---"---

vffhys/k dk uke. विलायक, रैफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और

आटोमोबाइल में उपयोग काय निवारण) आदेश 2000 *vffhys/k dk izlj &* आदेश

vffhys/k dk l & Mr ifjp; &

विलायक, रैफिनेट और स्लाप का अर्जन, विक्रय, भण्डारण पर अनुज्ञप्ति द्वारा नियंत्रण ।

*fu; e/ fofu; e/ vuqns'k funs' kdk vlf vffhys/k dh
i fr dgla/ si Mr dj l drsgs*

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबर

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है ।

*fu; e/ fofu; e/ vuqns'k funs' kdk vlf vffhys/k dh i fr
dks i Mr djus dk 'k'd' 1/2 fn dks Zgk'2*

---"---

vffhys/k dk uke. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण

प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999

vffhys/k dk izlj .आदेश

vftkyſk dk l ſſſr i fjp; &

पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन, भण्डारण, रखरखाव पर नियंत्रण ।

fu; e/ fofu; e/ vuqſſſ funſſ' kdk vſſ vftkyſk dh i ſr dgla l si ſſr dj l drsgſ

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की

वेबसाइट www.mp.nic.in/mpfood

पर उपलब्ध है।

fu; e/ fofu; e/ vuqſſſ funſſ' kdk vſſ vftkyſk dh i ſr dſ i ſſr djus dk 'ſſd' 1/2 in dſſZgkſ

---"---

vftkyſk dk uke. मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

vftkyſk dk i dſſj .आदेश

vftkyſk dk l ſſſr i fjp; &

पीडित उपभोक्ता की ओर से उपभोक्ता न्यायालय में उन्हें राहत दिलाने हेतु उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर करना ।

fu; e/ fofu; e/ vuqſſſ funſſ' kdk vſſ vftkyſk dh i ſr dgla l si ſſr dj l drsgſ

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की

वेबसाइट www.mp.nic.in/mpfood

पर उपलब्ध है।

fu; e/ fofu; e/ vuqſſſ funſſ' kdk vſſ vftkyſk dh i ſr dſ i ſſr djus dk 'ſſd' 1/2 in dſſZgkſ

----"----

vftkyſk dk uke. मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

vftkyſk dk i dſſj .आदेश

vftkyſk dk l ſſſr i fjp; &

पीडित उपभोक्ता की ओर से उपभोक्ता न्यायालय में उन्हें राहत दिलाने हेतु उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर करना ।

fu; e/ fofu; e/ vuqſſſ funſſ' kdk vſſ vftkyſk dh i ſr dgla l si ſſr dj l drsgſ

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की

वेबसाइट www.mp.nic.in/mpfood

पर उपलब्ध है।

fu; e/ fofu; e/ vuqſſſ funſſ' kdk vſſ vftkyſk dh i ſr dſ i ſſr djus dk 'ſſd' 1/2 in dſſZgkſ

----"----

vftkyſk dk uke. मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

vftkyſk dk i dſſj .आदेश

vftkyſk dk l ſſſr i fjp; &

पीडित उपभोक्ता की ओर से उपभोक्ता न्यायालय में उन्हें राहत दिलाने हेतु उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर करना ।

fu; e/ fofu; e/ vuqſſſ funſſ' kdk vſſ vftkyſk dh i ſr dgla l si ſſr dj l drsgſ

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की

वेबसाइट www.mp.nic.in/mpfood

पर उपलब्ध है।

fu; e/ fofu; e/ vuqſſſ funſſ' kdk vſſ vftkyſk dh i ſr dſ i ſſr djus dk 'ſſd' 1/2 in dſſZgkſ

----"----

vftkyſk dk uke. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

vftkyſk dk i dſſj ऋनियम

vftkyſk dk l ſſſr i fjp; &

उपभोक्ताओं को जागरूक करना, उपभोक्ता न्यायालयों एवं परिषद का गठन ।
 fu; e/ fofu; e/ vuq's'lj fun' kdk vlf vfhys'k dh खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 i'fr dgtal si'fr dj l drsg' उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
 शासन की बेबर
 www.mp.nic.in/mpfood

उपलब्ध है।
 i'fr dgtal si'fr dj l drsg'

fu; e/ fofu; e/ vuq's'lj fun' kdk vlf vfhys'k dh i'fr ---"
 dks i'fr djus dk 'k'd' fn dks'gk'z

[fclhqdekol 6 & i'fr/kcl'jh ds i'kl ; k muds fu; a. k eami y'k nLr'kot](#)
[dk i'px'k' ds vuq'lj fooj. k](#)

6-1 [ft yk vki'fr'Zfu; a-d dk l'g; ds i'kl mi y'k 'kl dh nLr'kot](#)

क्र०सं०	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने लिये प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	आवंटन संबंधी रिकार्ड	निर्धारित शुल्क जमा करने पर	जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय इंदौर

[ft yk vki'fr'Zfu; a-d dk l'g; ds d'lt s ea v'flok fu; a. k ea j'kus okys nLr'kot dk](#)
[fooj. k &](#)

1. आवक पंजी
2. जावक पंजी
3. रोकड़ पंजी
4. अनाज अग्रिम पंजी
5. स्कूटर लोन पंजी
6. मकान लोन पंजी
7. डाक टिकट विषय पंजी
8. सामान्य भविष्य निधि पंजी
9. विभागीय भविष्य निधि पंजी
10. आयकर कटौती हेतु कर्मचारियों के वेतन की पंजी
11. यात्रा देयक पंजी
12. चिकित्सा देयक पंजी
13. परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना, समूह सह बीमा योजना पंजी
14. उपस्थिति पंजी
15. बिल पंजी

*fcLhqdakl 7 & ulfr fu/kl. ko dk; kb; u ds l rak est urk; k
t u& i frfu/k l si jke 'k ds fy; s cuk; h x; h Q oLFk dk fooj. k*

- 7.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी की परामर्श/भागीदारी का प्रावधान नीति निर्धारण संबंधी कार्य शासन स्तर पर किया जाता है जो विभाग की वेबसाइट www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है ।

जनता एवं जन-प्रतिनिधियों के परामर्श हेतु जिला स्तर पर, विकास खण्ड स्तर पर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

ft yk Lrjh; fuxjkuh@l rdZk l fefr :-

कलेक्टर	अध्यक्ष
महाप्रबन्धक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं	सदस्य
जिला प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति निगम	सदस्य
प्रभारी स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन	सदस्य
भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
समस्त लीड समिति प्रबन्धक	सदस्य
समस्त सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
विकासखण्ड स्तरीय समिति के दो मनोनीत सदस्य	सदस्य
जिला आपूर्ति नियंत्रक	सदस्य सचिव.

fodkl [k M Lrjh; fuxjkuh l fefr :-

अध्यक्ष, जनपद पंचायत	अध्यक्ष
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
नेहरु युवा केन्द्र के समन्वयक	सदस्य
उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र से जुड़े दो प्रतिनिधि जिसमें एक महिला	सदस्य
समस्त सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
लीड संस्था का सदस्य	सदस्य
कृषि उपज मण्डी का प्रतिनिधि	सदस्य
स्वसहायता समूह का कोई प्रतिनिधि (कलेक्टर के अनुमोदन अनुसार)	सदस्य
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	सदस्य

'kk dl; mfr eW; nqlu Lrjh; fuxjkuh@l rdZk l fefr (ग्रामीण क्षेत्र) :-

ग्रामपंचायत का सरपंच	अध्यक्ष
लिंग समिति का संचालक	सदस्य
नेहरु युवा केन्द्र का प्रतिनिधि	सदस्य
स्वसहायता समूह की महिला अध्यक्ष	सदस्य
उपभोक्ता 3 (एपीएल, बीपीएल, अन्त्योदय)	सदस्य
वरिष्ठतम प्रधान पाठक, शासकीय शाला	सदस्य
पंचायत सचिव	संयोजक

'*kk dh; mfr eW; nqlu Lrjh; fuxjkuh@l rdZk l fefr* (शहरी क्षेत्र) :-

- अध्यक्ष – संबंधित वार्ड का पार्षद
 दो सदस्य – गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से होंगे जिन्हें विशेष राशन कार्ड दिये गये हों तथा उसमें एक पुरुष और एक महिला होगी ।
 दो सदस्य – दुकान के अन्य कार्डधारी उपभोक्ता होंगे जिनमें से एक पुरुष और एक महिला होगी ।
 दो सदस्य – क्षेत्र के उपभोक्ता कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ताओं में से होंगे.
 एक सदस्य – कोई शासकीय कर्मचारी हो (संयोजक) ।

ulfr ds dk; kb; u gsrq

- 7.2 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श/भागीदारी का प्रावधान/व्यवस्था का विवरण—
1. जिला स्तरीय निगरानी/सतर्कता समिति – इस समिति की बैठक प्रति माह कलेक्टर की अध्यक्षता में बुलाई जाती है जिसमें निगरानी समिति के सदस्यों के सुझाव एवं परामर्श कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है ।
 2. विकास खण्ड स्तरीय निगरानी/सतर्कता समिति – अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में समिति की बैठक प्रतिमाह बुलाई जा रही हैं जिसमें तहसील स्तर की समस्याओं काय निराकरण किया जाता है और यदि समस्या जिला स्तर की होती है तो उप समिति अपनी अनुशंसा सहित कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति को भेजती हैं जहां पर उसका निराकरण किया जाता है ।
 3. शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति – शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति की बैठक शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच की अध्यक्षता में की जाता है जिसका निराकरण उनके स्तर पर किया जाता है ।

fclhqdzekd 8 & ckbM i fj "knk l fefr; ka, oa vU; fudk; kadk foj. k

8-1 *ft yk vki frZ fu; ad dk kb; l s l a) ckbM i fj "knk l fefr; ka, oa vU; fudk; kadk l fr foj. k &*

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत बोर्ड, परिषद, समितियां कार्यरत नहीं हैं ।

fc/hqdekd 9 & vf/kdkj; kvfj deplj; kd dh funZ kdk

नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	पता	दूरभाष क्रमांक	
			कार्यालय	निवास
1	2	3	4	5
1-श्री हरेन्द्रसिंह	जिला आ०निय०	कार्यालय कलेक्टर, जिला इंदौर	2449129	---
2-श्री पी०सी० गुप्ता	सहायक आ०अ०	तदैव	-	-
3-श्री आर०सी० मीणा	सहायक आ०अ०	तदैव	-	-
4-श्री आर०एस० शर्मा	कनिष्ठ आ०अ०	तदैव	-	-
5-श्री विजय सालोडे	कनिष्ठ आ०अ०	कार्यालय कलेक्टर, इंदौर	-	-
6-श्री संतोष दुबे	कनिष्ठ आ०अ०	तदैव	-	-
7-श्री आईपीएससेगर	कनिष्ठ आ०अ०	तदैव	-	-
8-श्री मनोरंजन दुबे	कनिष्ठ आ०अ०	तदैव	-	-
9-श्री प्रदीप जैन	कनिष्ठ आ०अ०	तदैव	-	-
10-श्री राजेन्द्र माथुर	कनिष्ठ आ०अ०	तदैव	-	-
11-श्री एल०एल० अडवानी	कनिष्ठ आ०अ०	तदैव	-	-
12-सुश्री गंगा भिण्डे	कनिष्ठ आ०अ०	तदैव	-	-
13-श्री योगेश झा	कनिष्ठ आ०अ०	तदैव	-	-
12 - श्री नरेन्द्र नीमा	स्टेनो टाईपिस्ट	तदैव	-	-
15- श्री राजेन्द्र अग्रवाल	लेखापाल	तदैव	-	-
16 - श्री विजयशंकर मिश्रा	सहायक ग्रेड-3	तदैव	-	-
17-श्रीमती हर्षदा संवत्वरकर	सहायक ग्रेड-3	तदैव	-	-
18-श्रीमती ममता चंद्रावत	स्टेनो टाईपिस्ट	तदैव	-	-
19-श्री लहरीलाल बागोरा	भृत्य	तदैव	-	-
20-श्रीमती सरिता कौशल	भृत्य	तदैव	-	-
21-श्रीमती अनिता अंगारे	भृत्य	तदैव	-	-

vufolhx Lrj ij &

22	श्री आर०पी०शर्मा	सहायक आपूर्ति अधिकारी	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी इंदौर / हातोद	-	-
23	श्री अश्विनी नायक	कनिष्ठआपूर्ति अधि०	तदैव	-	-
24	श्री वेदमणि शुक्ला	क.आ अधिकारी	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी साँवेर	-	-
25	श्री एच०आर० सुमन	स.आ अधिकारी	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर	-	-
26	श्री एस०एन० मिश्रा	स.आ अधिकारी	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी महु	-	-
27	श्री अनिल जैन	क.आ अधिकारी	तदैव	-	-

फ़लह्गदकल 10 & i k, sl vl/kdljh vlj depljh }ljk ekl d ikj Jfed
vlj ml dsfu/kk. k dh i) fr

10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दें

क्र०सं०	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	भत्तों विवरण	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति नियमावली में दी गई हो
	<u>i k, sl Jskh</u>			
	जिला आपूर्ति नियंत्रक	15600-39100	DA 27%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार
	<u>rikh Jskh</u>			
	सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी	9300-34800	DA 27% CA100/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार
	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	5200-20200	DA 27% CA100/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार
	लेखापाल	5200-20200	DA 27% CA50/-	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार
	सहायक प्रथम वर्ग	5200-20200	DA 27% CA50/-	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार
	सहायक द्वितीय वर्ग	5200-20200	DA 27% CA 50/-	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार
	सहायक द्वितीय वर्ग / टायपिस्ट	5200-20200	DA 27% CA 50/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार
	बाहन चालक	5200-20200	DA 27% CA 50/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार
	<u>prkhl Jskh</u>			
	भृत्य	5200-20200	DA 27% CA 50/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार

फ़लह्गदकल 11 & i k, sl vl/kdljh vlj depljh }ljk ekl d ikj Jfed
I Hh ; kt uk vlj Q ; i k, sl vl/kdljh vlj depljh }ljk ekl d ikj Jfed
gk

विभाग के अंतर्गत निर्माण से संबंधित कुल दो योजनाएँ प्रचलित हैं:-

1. ; kt uk dekl 16243 & nqlu & l g & x l n k e dk fuelk

योजना क्रमांक (6243)-गोडाउन ग्रीड निर्माण योजना हेतु है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं खाद्यान्नों की सुरक्षा हेतु अत्यन्त उपयोगी है। जहाँ तक खाद्यान्नों की सुरक्षा योजनांतर्गत 50 मेटिक टन क्षमता की दुकान सह गोदाम निर्माण कराये जाते हैं इससे जहाँ एक ओर खाद्यान्नों की सुरक्षा एवं भण्डारण क्षमता बढ़ती है वहीं दूसरी ओर उचित मूल्य की दुकानों की व्यवहार/उपयोगिता में वृद्धि होती है। इस से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को सुगमता पूर्वक उचित दर एवं अधिक गुणवत्ता की खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाना संभव होती है एवं खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित होती है। उक्त मद में राशि का आवंटन

संबंधित जिला कलेक्टर की मांग पर राज्य योजना मंडल की अनुमति उपरांत वित्त विभाग से प्राप्त होता है।

: kt uk dekad 162421&l gdljh l fefr; l dks feVlry l ag. k grq Valh dk fuelZk&

योजना क्रमांक (6242)–सहकारी समितियों को मिट्टीतेल संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण के अंतर्गत जिले के ग्रामीण अंचलों में मिट्टीतेल संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण कराया जाता है। इस व्यवस्था से प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सुगमता से उचित मूल्य पर मिट्टीतेल का तेल उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2009–10 की जानकारी निम्नानुसार है :-

o "Z2009&10

क्र०सं०	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने दिनांक	कार्य के समाप्ति की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित व्यय	स्वीकृत व्यय	संचालनालय द्वारा किस्तों में	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समाप्ति के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1	योजना क्र. 6242 (6242)–सहकारी	समितियों टंकी/ड्रम निर्माण मिट्टी संग्रहण टंकी/ड्रम का	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से (माह अप्रैल)	वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 तक)	5380000	1100000	1000000 100000	1099225	जिला नियंत्रक

अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में वर्ष 2009–10 में प्राप्त आबंटन तथा व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष 2009–10

अ०क्र०	मद	प्राप्त आबंटन राशि	व्यय	शेष राशि
1	011 वेतन	3836100	6673901	-2837801
2	021-यात्रा भत्ता	12000	3714	8286
3	022-कार्यालय व्यय	117700	106951	10749
4	031-व्यावसायिक सेवाओं हेतु	31500	0	31500
5	033-वाहन रिपेयरिंग	30000	29880	120
6	051-अन्य व्यय	2000	0	2000
7	6387-पुरस्कार योजना उपसंरक्षण दिवस हेतु	6000	6000	0
8	4408(0173)अन्न क्रय योजना	499000	123318	375682
9	4408(0173)ग्रीडगोदाम योजना	0	0	0
	योग	4534300	6943764	-2409464

fclhqddek 12 vumku/ jkt; 1 gk; rk dk; Dek ds f0; kb; u dh jfr &

1 loz fud forj. k izklyh ds varxz vki frZQ oLFM& उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल आदि वस्तुएं उचित दर पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' दिनांक 01.06.1997 से क्रियाशील है।

[k/ku] 'Wdj/ djk hu ink; , oa forj. k Q oLFM& जिले में भारतीय खाद्य निगम का एक बेस डिपो स्थापित है जहां से खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। राज्य शासन की एजेंसी के रूप में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा खाद्यान्न बेस डिपो से एवं शक्कर कारखानों से शक्कर उठाकर अपने प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से 4 लीड एवं 164 लिंक समितियों को उपलब्ध कराता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले को संचालनालय से प्रतिमाह गेहूं/चावल/शक्कर/मिट्टी तेल का आवंटन प्राप्त होता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एपीएल एवं बीपीएल योजना में खाद्यान्न के प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। यह कार्य जिले में 3 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। योजनांतर्गत खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से परिवहन किया जाकर जिले में संचालित राज्य/केन्द्रीय के गोदामों में संग्रहित कराया जाता है जहां से लीड सहकारी संस्थाएं एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानदार खाद्यान्न एवं शक्कर का उठाव कार्य करते हैं। प्रदाय केन्द्रों से निर्धारित दर पर लीड व लिंक सोसायटीज को एक्स गोदाम दर पर शक्कर प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है।

djk hu& उपभोक्ताओं को केरोसीन की सरल और सुगम उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केरोसीन के थोक विक्रेता अपने टैंकर्स से शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सीधे केरोसीन उपलब्ध कराते हैं। यह योजना इंदौर जिले में अगस्त, 1993 से प्रभावशील है।

'kl dh; mpr ew; nqlku& सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 01.03.1992 से उचित मूल्य दुकानों का सहकारीकरण किया गया है। जिले में 506 दुकानें संचालित हैं जिनमें से 339 शहरी क्षेत्रों में तथा 167 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इन सभी दुकानों का संचालन पंजीकृत उपभोक्ता भंडारों/सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है।

iWky; e ink& जिले में पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण 155 पेट्रोल एवं डीजल पम्पों तथा 43 एलपीजी डीलर्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया जाता है।

[k/ku mi kt Z& जिले में गेहूं की खरीदी भारतीय खाद्य निगम एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय जिला स्तर पर इस हेतु समन्वय का कार्य करता है।

nqlku&l g&xlnke dk fuelzk योजना क्रमांक (6243)-गोडाउन ग्रीड निर्माण योजना हेतु है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं खाद्यान्नो की सुरक्षा हेतु अत्यन्त उपयोगी है। जहाँ तक खाद्यान्नो की सुरक्षा योजनांतर्गत 50 मेट्रिक टन क्षमता की दुकान सह गोदाम निर्माण कराये जाते हैं इससे जहाँ एक ओर खाद्यान्नो की सुरक्षा एवं भण्डारण क्षमता बढ़ती है वहीं दूसरी ओर उचित मूल्य की दुकानों की व्यवहार/उपयोगिता में वृद्धि होती है। इस से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को सुगमता पूर्वक उचित दर एवं अधिक गुणवत्ता की खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाना संभव होती है एवं खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित होती है। उक्त मद में राशि का आवंटन संबंधित जिला कलेक्टर की मांग पर राज्य योजना मंडल की अनुमति उपरांत वित्त विभाग से प्राप्त होता है।

nqlku&l g&xlnke dk fuelzk , oa l gdljh l fefr; la ds fy; s feVWh l ag. k grq Valt@Me dk fuelzk&

योजना क्रमांक (6242)–सहकारी समितियों को मिट्टीतेल संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण के अंतर्गत जिले के ग्रामीण अंचलों में मिट्टीतेल संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण कराया जाता है। इस व्यवस्था से प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सुगमता से उचित मूल्य पर मिट्टीतेल का तेल उपलब्ध कराया जाता है।

[fclhg dlekd 13 & fj; k; rkh vuqki = la rFlk i k/klj la ds i klrdrk la ds l rak esfooj. k](#)

नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत कलेक्टर इंदौर द्वारा नियमानुसार निम्न अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं।

1. पेट्रोल एवं डीजल व्यापार अनुज्ञप्ति।
2. केरोसीन व्यापार अनुज्ञप्ति।
3. नाथा व्यापार अनुज्ञप्ति।
4. सॉल्वेंट, रेफिनेट व स्लॉप व्यापार अनुज्ञप्ति।
5. सहकारी समितियों/उपभोक्ता भण्डारों को उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र –
(इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम, 1991 के तहत उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए दुकान आवंटन आदेश (अधिभार पत्र) जिला मुख्यालय पर जिला आपूर्ति नियंत्रक तथा अनुविभाग के स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किए जाते हैं तथा दुकान के संचालन के लिए अनुबंध सहकारी समिति/उपभोक्ता भंडार के साथ शासन के प्रतिनिधि की ओर से कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है।)

[fclhg dlekd 14 & by DV kud : i esmi yOk l puk a](#)

14.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में हो।

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, इंदौर

- प्रदाय व्यवस्था–
- भारतीय खाद्य निगम का एक बेस डिपो से APL/BPL/AAAY
- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के 4 प्रदाय केन्द्र
- 4 लीड समितियों व 164 लिंक समितियों
- कुल 506 उचित मूल्य दुकानें – 339 शहरी क्षेत्र में व 167 ग्रामीण क्षेत्र में

प्रदेश को खाद्यान्न, शक्कर/केरोसीन का आवंटन

- ए.पी.एल– गेहूं 2220 मै.टन प्रति माह।
- बी.पी.एल– गेहूं 2297 मै.टन प्रति माह।
- अन्त्योदय अन्न योजना– गेहूं 891 मै.टन, चावल 149 मै.टन प्रतिमाह।
- शक्कर– 279 मै.टन प्रति माह (बी.पी.एल/ए.ए.वाय परिवारों के लिए)
- केरोसीन– 2088 किलो लीटर प्रति माह।

उपभोक्ता दर

- ए.पी.एल– गेहूं रुपये 7.00 प्रति किलो।
- बी.पी.एल– गेहूं रुपये 3.00 चावल रुपये 5 प्रति किलो।

- अंत्योदय – गेहूं रुपये 2, चावल 3 प्रति किलों ।
- शक्कर– रुपये 13.50 प्रति किलो ।
- केरोसीन–रुपये 12.48 से रुपये 13.18 प्रति लीटर ।

वितरण मापदण्ड

- खाद्यान्न– APL परिवारों के लिए 6 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह ।
- बीपीएल परिवारों के लिये 15 किलो गेहूं एवं 5 किलो चावल प्रतिमाह ।
- अंत्योदय परिवारों के लिये 30 किलो गेहूं एवं 5 किलो चावल प्रतिमाह ।
- शक्कर– 2 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह बी.पी.एल./ए.ए.वाय. परिवार के लिये ।
- केरोसीन– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बीपीएल एवं अंत्योदय कार्डों पर 5 लीटर तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में एपीएल कार्डों पर 4 लीटर प्रति कार्ड, सिंगल बॉटल पर आधा अर्थात् 2.5 लीटर एवं 2 लीटर प्रति राशनकार्ड, डबल बाटल गैस कनेक्शन पर शून्य लीटर ।

जिले में राशनकार्ड की स्थिति–

- सामान्य राशन कार्ड– 388232
- कुल BPL परिवारों के नीले राशन कार्ड –114850 ।
- पीले अंत्योदय राशन कार्ड – 29707

पहुंचविहीन क्षेत्रों में भण्डारण–

- जिले में 1 पहुंचविहीन क्षेत्र है । पहुंचविहीन केन्द्रों पर वर्षा ऋतु के चार माह के लिये पूर्व से आवश्यक सामग्री का संग्रहण किया जाता है ।
- पहुंचविहीन केन्द्र :-
{1} तहसील महू– कालाकुण्ड

1 eFlZi eW; ij /kk/ klu mi kt Z

गेहूं उपार्जन–

- भारत शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर एफएक्यू के निर्धारित मापदण्डों से छूट ।
- रबी विपणन वर्ष 2009–10 के लिये गेहूं का समर्थन मूल्य रू. 1200/– प्रति क्विंटल ।
- खरीदी एजेंसी – जिले में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के रूप में ।
- खरीदी का कार्य पंजीकृत सेवा सहो समितियों एवं विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से ।
- खरीदी अवधि दिनांक 15.3.2010 से 31.5.2010 तक ।
- दिनांक 31.5.2010 तक 72002.876 मे0टन गेहूं की खरीदी नहीं हुई

fcLhgdekad 15 & 1 puk i hr djus dsfy, ukxfj dks mi yCk 1 fo/kv/ks dk fooj. k

15-1 1 pukv dks turk rd igplus dsfy, foHkx@l xBu }kjk dh xbZQ oLFk dk fooj.। जैसे –

- 1.अखबारों के द्वारा– समाचारों को जारी कर प्रचार–प्रसार ।
- 2.प्रदर्शनी– 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस
- 3.सूचना पटल– कार्यालय में प्रदर्शित ।
- 4.अभिलेखों का निरीक्षण– निरीक्षण की व्यवस्था है ।

5. दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था— हॉ। सशुल्क है।
 6. उपलब्ध विभागीय मैन्युअल — विभाग की वेबसाईट www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध ।
 7. लोक प्राधिकरण की वेबसाईट— उपलब्ध है।
 8. अन्य प्रचार—प्रसार के साधन— जनसमस्या एवं सूचना शिविर आदि।
 9. जन प्रतिनिधियों एवं पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मासिक आवंटन एवं प्रदाय की जानकारी पत्र के माध्यम से प्रेषित की जाती है।

[fclhgddekad 16 & ft yk vki frZfu; a-d dk lky; esdk jr ykd l puk vf/kdkj; k l gk d ykd l puk vf/kdkj; k r fkk foHkxk; vihyd/ vkkkjh Vh dh t kudkj h](#)

ykd iH/kdj. k dk ule :- जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, इंदौर

ykd l puk vf/kdkj h

क्र.सं.	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	जिला आपूर्ति नियंत्रक	0731	2449129	2710188	2449114		कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, इंदौर

ykd l gk d l puk vf/kdkj h

क्र.सं.	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	सहायक आपूर्ति अधिकारी	0731	2449129				कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, इंदौर

विभागीय अपीलेट आथोरिटे

क्र.सं.	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
	<i>dydVj bank</i>	0731	2449111	2700111	2449114	dmindore @mp.nic.in	<i>ft yk /kk/ dk bank</i>

[fclhgddekad 17 vU; mi; kxh t kudkj; ka](#)

17-1 *ft yk vki frZfu; a-d dk lky; l st uekul } jk l kkk; r% i wst kus okys izu o mudsmh jA*

- राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है?
— बिन्दु क्रमांक 15.1 के अंतर्गत प्रक्रिया का उल्लेख है।
- शासकीय उचित मूल्य दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटा किस प्रकार आवंटित किया जाता है?
— जिले को प्राप्त आवंटन को समानुपातिक पुनरावंटन कर कोटा शासकीय उचित मूल्य दुकान को आवंटित किया जाता है।

3. शासकीय उचित मूल्य दुकान/केरोसीन फुटकर अनुज्ञप्ति/हाकर आवंटन की प्रक्रिया क्या है?
 –शासकीय उचित मूल्य की दुकान सहकारिता क्षेत्र के उपभोक्ता भण्डारों को शहरी क्षेत्र में एवं कृषि साख सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्र में आवंटित की जाती है। आवंटन प्रक्रिया बिन्दु क्रमांक 15.1 के अंतर्गत उल्लेखित है। केरोसीन फुटकर अनुज्ञप्ति/हाकर की नियुक्ति शासन द्वारा प्रतिबंधित होने से बंद है।

17-2 *1 puk i hr djus ds l rak ea*

vlonu i = dk i k i

प्रति,

विषय : लोक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी का प्रदाय।

आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता

वांछित जानकारी का पूर्ण विवरण

वांछित जानकारी किस रूप में चाही जा रही है— (फोटोकापी/फ्लापी/सीडी)
 (संबंधित पर सही का निशान लगाएं)

आवेदन का दिनांक _____

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

पावती (दो प्रतियों में)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक _____

वांछित जानकारी हेतु प्राप्त शुल्क का विवरण—

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

नाम एवं पदनाम _____

शुल्क:— बिन्दु क्रमांक 1.7 के अंतर्गत उल्लेखित है।

सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाये— निर्धारित उपरोक्त आवेदन के प्रारूप में।
 सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया
 –अध्याय-1 के बिन्दु 1.7 में वर्णित है।

17.3 *ft yk vki hr Zfu; a d dk ly; } ljk t urk dks fn; s t kus okys i f' k k ds l rak ea*

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण— विश्व उपभोक्ता दिवस।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा— 1- 2 दिवस।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य— उपभोक्ता जागृति।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)—कोई लक्ष्य नहीं
 लाभार्थी की पात्रता— सामान्य
 पूर्वापेक्षाएँ (यदि हो तो) — नहीं
 अनुदान / सहायता (यदि हो तो) — नहीं

- 17.4 *ft yk vki frZfu; a-d dk lky; }kjk fn; s t kus okys iek k i=) vuki fr iek k i= vkn ds l rak ea t hsd esny& 13 esu l ffefyr ghs*
 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाने के कारण लागू नहीं है

17.5 *ft yk vki frZfu; a-d dk lky; eagkus okys i a h u ds l rak ea*

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा डीजल पेट्रोल, केरोसीन तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ एवं उचित मूल्य दुकानों का पंजीयन किया जाता है ।

- 17.6 *ft yk vki frZfu; a-d dk lky; ¼vkn½}kjk VDI yus ds l rak ea*

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा कोई टेक्स वसूली नहीं की जाती ।

17.7 *ft yk vki frZfu; a-d dk lky; }kjk ukxfjdk nh t kus okys fct yk@i kuh ds duD'kuj duD'ku dks vLEWbZ@LEWbZ: i 1s foPNsu j vkn ds l rak ea ¼g l puk LEWbZ fudk t S suxj ikfydk@uxj ifj'kn@; wihl h, y- }kjk nh t k l drh g%*

लागू नहीं ।

- 17.8 *ft yk vki frZfu; a-d dk lky; }kjk ukxfjdk nh t kus okyh vl' l okvdk dk foj. k*

जानकारी उपरोक्त कंडिकाओं में दी गयी है ।

dk; k; dyDVj ¼kk/ ½ft yk&bhk; ¼e-iz½

Øekd@ @/kk/@l puk dk vf/k@2010 bhk; fnukd @
@2010
ifrj

ft yk l puk vf/kdjh
ft yk l puk, oafokku dshz
dyDVj; bhk;

fo"k; % l puk dk vf/kdjh vf/k; e 2005 dh /kjk 4 dsrgr 17 fclhyla
dh t kudjh ink; A

l anHk; ykd l puk vf/kdjh ft yk dyDVj; bhk; dk i= Øa 13@l w
dk vf/k@2010 bhk; fnukd 28-06-2010

&&00&&

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि खाद्य विभाग की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत 17 बिन्दुओं की वांछित जानकारी पत्र के संलग्न हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में प्रेषित है।

l a;ku% उपरोक्तानुसार ।
fu; &d

ft yk vki frZ

ft yk bank;

i:Øekd@ @/kk/@l puk dk vf/k@2010 bhk; fnukd @
@2010
ifrjfyfi%

1. लोक सूचना अधिकारी, जिला कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

ft yk vki frZfu; a-d
ft yk bank